म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
डी, ब्लाक पुराना सचिवालय भोपाल

क्र. मन्युअल/भ.सं.कं. मं./05/ 82 भोपाल, दिनांक 11.10.2005

आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के तहत सूचना चाहने वाले को जानकारी प्रदान करने हेतु निम्नानुसार सूचना अधिकारी नामांकित किया जाता है :–

क्रमांक	सूचना अधिकारी का नाम व पद	अपीलीय अधिकारी
1	श्रीमती जासेमिन अली सहायक सचिव	श्री आर.जी. पाण्डेय सचिव

(आर.जी. पाण्डेय)
सचिव,

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

मण्डल का मैन्युअल

1. मण्डल का संगठन, कृत्य एवं उत्तरदायित्व –

1.1 **मण्डल का गठन** – यह मण्डल ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक 27) की धारा–18 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ–14–4–98–सोलह–ए दिनांक 09 अप्रैल, 2003 के अन्तर्गत दिनांक 10.04.2003 से गठित शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा (सील) वाला पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय है; जिसमें –

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष तथा शासन, कर्मकारों के नियोजकों एवं कर्मकारों के समान संख्या में प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य 15 सदस्य तथा एक महिला सदस्य सहित कुल 17 सदस्य हैं;

(2) अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन मण्डल एक सचिव और ऐसे अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी नियुक्त कर सकता है जो अधिनियम के अधीन मण्डल के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिये आवश्यक हों;

(3) मण्डल के सचिव इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं;

1.2 मण्डल के कृत्य तथा कर्तव्य – इस मण्डल के कृत्य तथा कर्तव्य निम्नलिखित दो अधिनियमों तथा नियम, 2002 के उपबन्धों पर आधारित हैं :–

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

(3) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम, 2002

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा–22 के अन्तर्गत मण्डल के कृत्य निम्नानुसार है :–

मुख्य कल्याणकारी कृत्य –

(क) दुर्घटना की दशा में किसी हिताधिकारी को तुरन्त सहायता उपलब्ध करा सकेगा।

(ख) ऐसे हिताधिकारी का, जिन्होंने साठ वर्ष की आयु पूरी कर ली है, पेंशन का संदाय कर सकेगा;

(ग) किसी हिताधिकारी को गृह निर्माण के लिए उतनी रकम से अनधिक तथा ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ऋण और अग्रिम मंजूर कर सकेगा जो विहित की जाएं ;

(घ) हिताधिकारियों की सामूहिक बीमा स्कीम के लिए प्रीमियम के संबंध में ऐसी रकम का संदाय कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ;

(ड.) हिताधिकारियों के बालकों की शिक्षा के लिए ऐसी वित्तीय सहायता दे सकेगा, जो विहित की जाए ;

(च) किसी हिताधिकारी की या ऐसे आश्रित की, बड़ी व्याधियों के उपचार के लिए ऐसे चिकित्सीय व्ययों को पूरा कर सकेगा, जो विहित किए जाएं ;

(छ) महिला हिताधिकारियों को प्रसूति–प्रसुविधा के लिए संदाय कर सकेगा; और

(ज) ऐसे अन्य कल्याणकारी अध्युपायों ओर सुविधाओं के लिए, जो विहित किए जाएं, व्यवस्था कर सकेगा और उनमें सुधार कर सकेगा।

1.3 **मण्डल के उत्तरदायित्व –** मण्डल के निम्नलिखित उत्तरदायित्व है :–

(1) निधि के प्रशासन से संबंधित सभी विषय, जिनमें उसमें जमा राशि के विनिधान के लिए नीतियां अधिकथित करना सम्मिलित है,

(2) अधिनियम की क्रमशः धारा 25, 26 तथा 27(5) के अधीन शासन को वार्षिक बजट, वार्षिक रिपोर्ट तथा संपरीक्षित लेखे प्रस्तुत करना,

(3) अधिनियम की धारा 27 के उपबंधों के अनुसार लेखाओं को समुचित बनाए रखना तथा उनकी वार्षिक संपरीक्षा,

(4) निधि में अंशदान एवं अन्य प्रभारों का संग्रहण,

(5) मण्डल को देय रकमों की समुचित एवं समय पर वसूली,

(6) अधिनियम की धारा 22 में विनिर्दिष्ट तथा उसके अधीन विहित कृत्यों का पालन करना, और

2. मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

2.1 हिताधिकारी के रूप में निर्माण श्रमिकों का पंजीयन –

प्रत्येक अधिकारी व कर्मचारी का यह और भी कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि प्रत्येक निर्माण कर्मकार का मण्डल के नियमों के प्रावधानानुसार हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण हो रहा है जिसके लिये नियम, 2002 के प्रावधान निम्नानुसार है

2.4(15)रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया –

(क) अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन हिताधिकारी के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन, इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप–अट्ठाईस में, दो प्रतियों में, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन मण्डल द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को किया जाएगा तथा उसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज होंगे, अर्थात् :–

(अ) निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक या अधिक में आयु का सबूत अर्थात्–

(एक) परीक्षा लेने वाले किसी मंडल या विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण–पत्र या अंकसूची या उस अंतिम विद्यालय द्वारा, जिसमें उसने अध्ययन किया, जारी किया गया विद्यालय छोड़ने का प्रमाण–पत्र;

(दो) जन्म तथा मृत्यु के रजिस्ट्रार से प्रमाण–पत्र;

(दो–क) ग्राम पंचायत के सचिव या सरपंच/पार्षद या आयुक्त, नगर निगम या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी/स्थानीय निकाय का मुख्य नगरपालिक अधिकारी/पटवारी/पुलिस स्टेशन, द्वारा मतदाता सूची के आधार पर जारी किया गया प्रमाण–पत्र;

(तीन) उपरोक्त प्रमाण–पत्रों के न होने पर उस चिकित्सा अधिकारी का प्रमाण–पत्र, जो शासकीय सेवा में सहायक शल्य–चिकित्सक की पदश्रेणी से निम्न पदश्रेणी का न हो;

(ब) पूर्ववर्ती एक वर्ष के दौरान कम से कम नब्बे दिन के लिये भवन कर्मकार की प्रास्थिति का सबूत, जो सामान्यतः उस नियोजक या ठेकेदार द्वारा, जिसके लिये आवेदक काम कर रहा हो, जारी किया गया उस आशय का प्रमाण–पत्र होगा तथापि, समुचित मामलों में, प्रास्थिति के सबूत के रूप में निम्नलिखित पर भी विचार किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(एक) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत भवन कर्मकार संघ द्वारा किया गया एक प्रमाण–पत्र;

(दो) संबंधित क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले निरीक्षक द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र;

(तीन) संबंधित जनपद पंचायत या नगरपलिक निकाय, जो चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र;

(स) प्ररूप–उन्तीस में नामनिर्देशन

(द) पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ

(ख) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र के साथ निम्नलिखित फीस नगद में या अकाउन्ट–पेयी डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा मण्डल को देय होगी;

अनुक्रमांक (1)	कर्मकार का वर्ग (2)	पंजीकरण फीस (3)
1	अकुशल	5.00 रूपये
2	अर्द्धकुशल	10.00 रूपये
3	कुशल	15.00 रूपये

(ग) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन–पत्र के प्राप्ति की अभिस्वीकृति मण्डल द्वारा की जाएगी।

(घ) उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी का सम्यक् जांच के पश्चात् यह समधान हो जाता है कि आवेदक, अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट पात्रता संबंधी मानदंड पूरा करता है तथा उसने अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का पालन किया है तो वह हितधिकारियों के रजिस्टर में हिताधिकारी के रूप में कर्मकार के नाम की प्रविष्टि करेगा, जो प्ररूप–तीस में रखा जायेगा तथा प्ररूप–इकत्तीस में उसे एक पहचान–पत्र भी जारी करेगा।

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ओवदन–पत्र को नामंजूर कर सकेगा, यदि जांच के पश्चात् वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक, पात्रता के मानदंड की पूर्ति नहीं करता है और/या अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों का पालन नहीं किया है।

परन्तु यह और कि उपनियम (1) के अधीन प्राप्त प्रत्येक आवेदन–पत्र पर विनिश्चय साधारणतया एक मास की अधिकतम कालावधि के भीतर किया

जाएगा तथा नामंजूरी की दशा में उसके कारण, आवेदक को लिखित में संसूचित किए जाएंगे।

(ड) यदि किसी हिताधिकारी के संबंध में, उपनियम (4) में निर्दिष्ट पहचान–पत्र में विनिर्दिष्ट किन्हीं विशिष्टियों में कोई परिवर्तन होता है या उसके अद्यतन करना आवश्यक हो गया है तो हिताधिकारी, उपनियम (1) में निर्दिष्ट अधिकारी को, यथास्थिति उस तारीख से, जब ऐसा परिवर्तन होता है या अद्यतन करना आवश्यक हो जाए, साठ दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन की तारीख तथा विशिष्टियां या अद्यतन किए जाने की आवश्यकता तथा उसके कारण, प्ररूप–बत्तीस में संसूचित करेगा।

(च) जहां, उपनियम (5) में निर्दिष्ट संसूचना की प्राप्ति पर, अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि पहचान–पत्र में प्रविष्टि की गई हिताधिकारी की विशिष्टियों में कोई परिवर्तन हुआ है या यह कि ऐसी विशिष्टियों को अद्यतन करने की आवश्यकता है तो, वह उक्त पत्र (कार्ड) में संशोधन करेगा तथा जो परिवर्तन हुआ है उसे भी उप–नियम (4) में निर्दिष्ट रजिस्टर में अभिलिखित करेगा।

(छ) यदि कोई पहचान–पत्र खो जाए, विकृत हो जाए या उसमें के पृष्ठ निःशेष हो जायें तो संबंधित हिताधिकारी, डुप्लीकेट/निरन्तर पहचान–पत्र जारी किये जाने के लिये, उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को प्ररूप–तैंतीस में आवेदन कर सकेगा। डुप्लीकेट पहचान–पत्र के लिये आवेदन–पत्र के साथ केवल पच्चीस रूपये फीस होगी, जो मण्डल को नकद में या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।

(ज) उपनियम (7) के अधीन किसी आवेदन–पत्र की प्राप्ति पर संबंधित अधिकारी, हिताधिकारियों के रजिस्टर में की प्रविष्टियों के साथ उसकी विषयवस्तु की जांच पड़ताल करने तथा आवेदन–पत्र की वास्तविकता के संबंध में स्वयं का समाधान हो जाने के पश्चात् डुप्लीकेट या निरंतरता पहचान–पत्र जारी करेगा।

2.2 **अपील** –

(क) नियम 272 के उपनियम (4) या उपनियम (8) के अधीन किसी विनिश्चिय से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर सचिव या मण्डल द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किसी अन्य अधिकारी को (जो इसमें इसके पश्चात् अपील अधिकारी के रूप में निर्दिष्ट है) अपील कर सकेगा।

(ख) अपील के ज्ञापन के साथ उस आदेश की, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, एक प्रमाणित प्रति तथा मण्डल को नकद या अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट में देय पच्चीस रूपये की फीस होगी।

(ग) जब अपील का ज्ञापन व्यवस्थित हो तो अपील अधिकारी, अपील ग्रहण करेगा, उस पर उसकी प्राप्ति की तारीख पृष्ठांकित करेगा और उसकी प्रविष्टि प्ररूप–चौबीस में इस प्रयोजन के लिये रखे गये रजिस्टर में की जायेगी, जो ''अपीलों का रजिस्टर'' के नाम से जाना जाएगा।

(घ) जब उपनियम (3) के अधीन कोई अपील ग्रहण की गई हो, तब अपील अधिकारी, संबंधित रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी से मामले के अभिलेख की अध्यपेक्षा करेगा और अभिलेख प्राप्त होने पर, मामले के अभिलेख का परीक्षण करने तथा अपीलार्थी और ऐसे अन्य व्यक्तियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे, सुनने के पश्चात् लिखित आदेश के माध्यम से अपील का निपटारा करेगा।

2.4(17)**हिताधिकारी द्वारा मण्डल की निधि में अभिदाय –**

(क) प्रत्येक हिताधिकारी, ऐसी मासिक दर से निधि में अभिदाय करेगा, जैसी कि अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। अभिदाय, मण्डल द्वारा उस जिले में, जहॉ हिताधिकारी निवास करता है, मण्डल द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए बैंकों में से किसी बैंक में मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक या वार्षिक आधार पर अग्रिम में विप्रेषित किया जाएगा, जो कि अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल निर्माण कर्मकार के प्रकरण में क्रमशः रू.2.00, रू 3.00 तथा रू 5.00 प्रतिमाह होगी।

(ख) हिताधिकारी, अपनी मासिक मजदूरी में से अपने अभिदाय की कटौती करने तथा ऐसी कटौती करने से पन्द्रह दिन के भीतर मण्डल को उसे विप्रेषित करने के लिये अपने नियोजक को प्राधिकृत कर सकेगा।

(ग) यदि कोई हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय करने में चूक करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रह जाएगा।

3. निर्णय प्रक्रिया, पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व की चरणवार जानकारी –

3.1 मण्डल के सचिव इसके मुख्य कार्यपालक अधिकारी है। मण्डल में निर्णय, पर्यवेक्षण तथा उत्तरदायित्वों के संबंध में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों के निम्नानुसार स्तर निर्धारित हैं :–

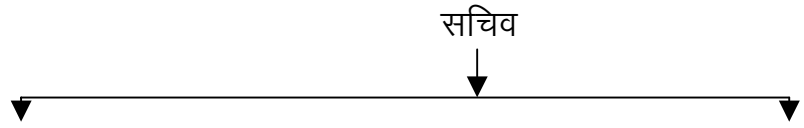

सहायक सचिव (प्रशासन, मण्डल की निधि का प्रबंधन एवं योजनाओं का कार्यान्वयन)	लेखाधिकारी सह योजनाधिकारी (मण्डल के लेखा, बजट का पर्यवेक्षण तथा योजनाओं को तैयार करना)

3.2 मण्डल मुख्यालय एवं मैदानी कार्यालय हेतु प्रस्तावित पदों के सृजन पर मण्डल में अधिकारियों के निम्नानुसार स्तर निर्धारित होंगे :–

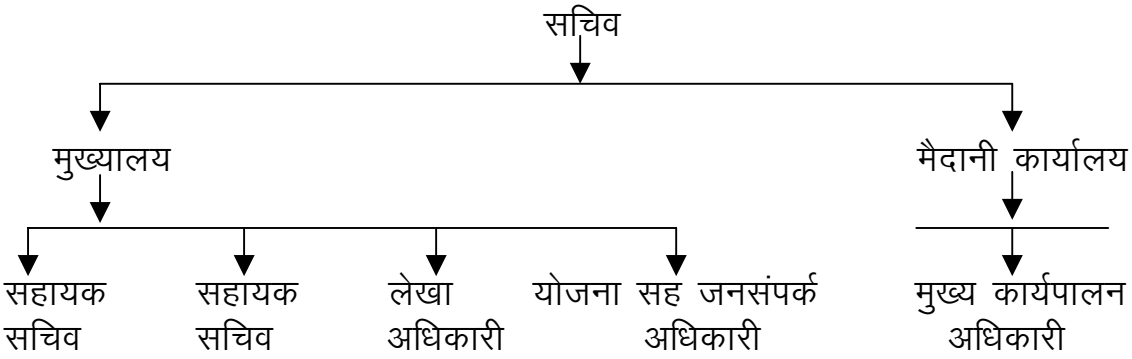

4. कृत्यों के निर्वहन के लिये मानदण्ड/प्रतिमान निश्चित करना –

मण्डल के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये उनके मानदण्ड/प्रतिमान का विनिश्चय मण्डल द्वारा समय–समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

5. कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित/नियंत्रण के अधीन अथवा उपयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, मेन्युअल्स तथा अभिलेख –

5.1 मण्डल के अधिकारीगण तथा कर्मचारीगण द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिये निम्नलिखित अधिनियम एवं नियमों का उपयोग किया जाता है :–

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथ सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक–27)

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम संख्यांक–28)

(3) म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) नियम, 2002

5.2 उपरोक्त अधिनियम एवं नियम के अतिरिक्त मण्डल के अन्तरिक प्रशासन एवं प्रबंधन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के शासकीय सेवकों को लागू सेवा शर्तें व सेवा नियमों का उपयोग किया जाता है, उदाहरणार्थ –

(1) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (आचरण) नियम, 1965;

(2) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966;

(3) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (मेडीकल एक्जामिनेशन) रूल्स्, 1972;

(4) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (अवकाश) नियम, 1977;

(5) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (कार्यग्रहण अवधि) नियम, 1982;

(6) मध्यप्रदेश एक्स सर्विसमेन (रिजर्वेशन आफ वेकेन्सीज इन द स्टेट सिविल सर्विसेज ऑन पोस्टस् आफ क्लास–3 एण्ड क्लास–4) रूल्स्, 1985;

(7) मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेज (स्पेशल प्रोवीजन आफ एपायमेन्ट आफ वूमन) रूल्स, 1997;

(8) मध्यप्रदेश प्रदेश पब्लिक सर्विसेज (प्रमोशन) रूल्स्, 2002;

5.3 कल्याणकारी कृत्यों का निर्वहन – भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के कल्याणकारी कृत्यों के लिये मण्डल द्वारा बनाई गई एवं मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित तथा राजपत्र में अधिसूचित योजनाओं के आधार पर निर्वहन किया जाता है।

6. धारित या नियंत्रण के अधीन दस्तावेजों की श्रेणियां –

कण्डिका–5 के अनुसार

7. नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा कियान्वयन/परिपालन के सम्बन्ध में किसी प्रबन्ध/व्यवस्था की विशिष्टियॉ –

यह मण्डल, शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा (सील) वाला पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय है। इसकी नीति के सूत्रीकरण/प्रतिपादन अथवा कार्यान्वयन या परिपालन के सम्बन्ध में मण्डल पूर्णतः सशक्त एवं स्वतंत्र है।

8. परामर्श के आशय हेतु बोर्ड/परिषद/कमेटी –

मण्डल के अध्यक्ष एवं अन्य 16 सदस्यों के अतिरिक्त कोई अन्य स्थाई परिषद/कमेटी नहीं है तथा मण्डल की बैठक सार्वजनिक रूप से खुली नहीं है और मण्डल की बैठक का कार्रवाई विवरण सार्वजनिक रूप से पहुॅच/अभिगम्य नहीं है।

9. अधिकारियों एव कर्मचारियों की निर्देशिका –

मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका परिशिष्ट–एक पर संलग्न है।

10. अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक –

मण्डल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा माह अगस्त, 2005 में प्राप्त पारिश्रमिक परिशिष्ट–दो पर संलग्न है।

11. बजट –

वर्ष 2005–2006 का बजट परिशिष्ट 3.1 से 3.4 पर संलग्न है।

12. अनुदान के कार्यक्रमों के प्रवर्तन की रीति और आवंटन तथा हितग्राहियों का विवरण –

12.1 अधिनियम की धारा–22 तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 के नियम–277 के प्रावधानों के अधीन वर्तमान में निम्नलिखित 6 योजनाओं के माध्यम से निर्माण कर्मकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है :–

क्रमांक	योजना का नाम	वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिए आवंटन
1	दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना– 2004	10,00,000.00
2	बीमा सहायता (समूह बीमा) योजना – 2004	50,00,000.00
3	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना– 2004	15,00,000.00
4	शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना – 2004	50,00,000.00
5	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना – 2004	7,00,000.00
6	प्रसूति सहायता योजना – 2004	5,00,000.00

12.2 कार्यक्रमों के प्रवर्तन की रीति :– परिशिष्ट 4.1 से 4.6 पर संलग्न योजनाओं में प्रवर्तन की रीति का पूर्ण विवरण उल्लिखित है।

12.3 हितग्राहियों का विवरण – परिशिष्ट 5.1 से 5.3 पर हितग्राहियों के विवरण संलग्न है।

13 रियायतें/सुविधाए प्राप्त करने वालों की विशिष्टियॉ –

कण्डिका/मद–12 में उल्लिखित परिशिष्ट 5.1 से 5.3 पर अंकित/संलग्न है।

14. प्राप्यनीय/धारित इलेक्ट्रॉनिक फार्म में सूचना के बारे में विवरण – इलेक्ट्रॉनिक फार्म में सूचना प्राप्त करना अथवा धारित करने संबंधी प्रक्रिया, इस मण्डल में अभी प्रभावशील नहीं है।

15. नागरिकों का सूचना प्राप्त करने के लिये प्राप्यनीय सुविधाओं एवं वाचनालय – अधिनियम, नियम एवं अनुदान तथा प्रसुविधाओं से संबंधित योजना की प्रति जिनका उल्लेख कण्डिका–5 में किया गया है, नागरिकों के अध्ययन हेतु, कार्यालयीन कार्यकाल (वर्पिबम ीवनते) में उपलब्ध हैं।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम व पदनाम –

1. श्री आर.जी. पाण्डेय, पदेन सचिव (उप श्रमायुक्त, भोपाल)
(सूचना अधिकारी)

2. सुश्री जासेमिन सितारा, सहायक सचिव
(सहायक सूचना अधिकारी)

17. अन्य सूचनाएं जो विहित की जायें –

कोई नहीं।

परिशिष्ट–2

अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक

(देखें कण्डिका /मद क्रमांक–10)

क्र.	नाम	पद	स्केल	कुल वेतन	अभियुक्ति
1	श्री आर. जी. पाण्डे	सचिव एवं उपश्रमायुक्त	12000..375..16500		
2	श्रीमती जासेमिन सितारा	सहा. सचिव एवं श्रम पदाधिकारी	8000..275..13500	14420	प्रतिनियुक्ति
3	श्री बी. एन. मूंदड़ा	लेखाधिकारी	8000..275..13500		संविदा
4	श्री दीपक पोरवाल	कल्याण पर्यवेक्षक	4500..125..7000	4500	संविदा
5	श्री धीरेन्द्र शुक्ला	कल्याण पर्यवेक्षक	4500..125..7000	4500	संविदा
6	श्री उपेन्द्र पांडे	कल्याण पर्यवेक्षक	4500..125..7000	4500	संविदा
7	श्री भूपेन्द्र साहू	स्टेनो	3050..75..3950..80..4590 तथा विशेष वेतन रू.125 प्रतिमाह	3175	संविदा
8	श्री महेन्द्र पाल सिंह	सहायक ग्रड–3	3050..75..3950..80..4590	2416	कलेक्टर दर पर
9	श्री प्रहलाद सिंह	सहायक ग्रड–3	3050..75..3950..80..4590	2416	कलेक्टर दर पर

10	श्रीमती अर्चना यादव	सहायक ग्रड–3	3050..75..3950..80..4590	2416	कलेक्टर दर पर
11	श्री महेन्द्र ठाकुर	भृत्य	2550..55..2660..60..3200	2308	कलेक्टर दर पर
12	श्री मनोज कुशवाह	चोकिदार	2550..55..2660..60..3200	2308	कलेक्टर दर पर
13	श्री सुग्रीव वर्मा	भृत्य	2550..55..2660..60..3200	2308	कलेक्टर दर पर
14	श्री मोतीलाल भाटिया	वाहन चालक	3050..75..3950..80..4590	2416	कलेक्टर दर पर

म. प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अधिकारी/कर्मचारियों की निर्देशिका(डायरेक्टरी)

(देखें कण्डिका /मद क्रमांक–9)

क्र.	नाम	पद	पता	दूरभाष	
				कार्यालय	निवास
1	श्री आर. जी. पाण्डेय	सचिव पदेन (उपश्रमायुक्त, भोपाल)	ई. एन. 1/20 चार इमली भोपाल	2538271,2538661,2540987	2430132,9826495400
2	श्रीमती जासेमिन सितारा	सहा. सचिव	641 एन. 4, सी. सेक्टर पिपलानी भोपाल	2538271,2538661	2685342,9893010657
3	श्री बी. एन. मूंदड़ा	लेखाधिकारी	सी./265 शाहपुरा भोपाल	2538271	2421480
4	श्री दीपक पोरवाल	कल्याण पर्यवेक्षक	इ. 230 न्यू सुभाष नगर भोपाल	2538271	2757373,9827354292
5	श्री धीरेन्द्र शुक्ला	कल्याण पर्यवेक्षक	30, बरखेड़ी पुलिस चौकी के पास भोपाल	2538271	07662–230437(पी.पी.)
6	श्री उपेन्द्र पांडे	कल्याण पर्यवेक्षक	एफ 44/28 साउथ टी. टी. नगर भोपाल	2538271	9425029826
7	श्री भूपेन्द्र साहू	स्टेनो	13, कस्तूरबा सदन नीलम कालोनी जाहंगीराबाद भोपाल	2538271	9893094768(पी.पी.)
8	श्री महेन्द्र पाल सिंह	सहायक ग्रड–3		2538271	9826442046
9	श्री प्रहलाद सिंह	सहायक ग्रड–3	44/26 साउथ टी. टी. नगर भोपाल	2538271	2764413
10	श्रीमती अर्चना यादव	सहायक ग्रड–3	32 ए. जी./2 मधू अपार्टमेंट सूरूचि नगर भोपाल	2538271	2671338

11	श्री महेन्द्र ठाकुर	भृत्य	अभिषेक नगर रसूलिया, होशंगाबाद	2538271	07574–255165
12	श्री मनोज कुशवाह	चोकिदार	141, गली नं. 30 सी. ब्लाक शारदा नगर नारियलखंड़ा	2538271	30922530 (पी.पी.)
13	श्री सुग्रीव वर्मा	भृत्य		2538271	
14	श्री मोतीलाल भाटिया	वाहन चालक		2538271	

मण्डल का आय–व्यय बजट

परिशिष्ट–3.1

(देखे कण्डिका/मद क्र. 11)

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

बजट अनुमान – 2005–06

रूपये लाखों में

1	2	3	4	5			6
अनु.	आय के मुख्य शीर्ष	गत वर्ष 2003–04 की वास्तविक आय	चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 का लक्ष्य	वर्ष 2004–05 की आय			वित्तीय वर्ष 2005–06 के लिये अनुमानित आय
				1	2	3	
1.	उपकर से प्राप्ति						
	1. राज्य शासन के विभागों से प्राप्त उपकर	194.21	575.00	355.53	236.30	591.83	1100.00
	2. राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त उपकर	659.60	120.00	875.21	411.88	1287.09	2500.00

	3. केन्द्र सरकार के विभागों से प्र्राप्त उपकर	13.92	14.00	15.29	1.97	17.26	30.00
	4. केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त उपकर	44.80	18.00	369.77	44.99	414.76	800.00
	5. नगरीय निकायों से प्राप्त उपकर	47.92	52.00	114.76	100.71	215.47	410.00
	6. अन्य निकायों (कृषि उपज मण्डी) से प्राप्त उपकर	8.40	6.00	20.41	11.14	31.55	60.00
	7. (श्रम विभाग के) उपकर संग्राहकों द्वारा प्राप्ति	1.19	5.00	32.05	11.70	43.75	80.00
	8. अन्य उपक्रम से प्राप्ती	4.30	51.00	9.32	3.15	12.47	20.00
	1 उपकर से प्राप्ति का योग –	**974.34**	**841.00**	**1792.34**	**821.84**	**2614.18**	**5000.00**
2.	**अन्य मदों से प्राप्ति**						
	1. पंजीयन शुल्क	1.05	3.50	1.82	2.02	3.84	3.50
	2. अभिदाय से प्राप्ति		0.03	0.02		0.02	2.00
	पंजीयन एवं अभिदाय से प्राप्ति का योग –	**1.05**	**3.53**	**1.84**	**2.02**	**3.86**	**5.50**
	3. बैंक से ब्याज की प्राप्ति						
	3.1 बचत खातों पर ब्याज की प्राप्ति	0.49	0.55	0.39	0.14	0.53	60.00
	3.2 सावधि (फिक्सड) जमा राशि पर उपार्जित ब्याज	8.46	100.00	76.54	24.73	101.27	150.00
	बैंक से ब्याज की प्राप्ति का योग –	**8.95**	**100.55**	**76.93**	**24.87**	**101.80**	**210.00**
	2 अन्य मदों से प्राप्ति का योग –	**10.00**	**104.08**	**78.77**	**26.89**	**105.66**	**215.50**
	आय का महायोग	**984.34**	**945.08**	**1871.11**	**848.73**	**2719.84**	**5215.50**

वर्ष 2005–06 का अनुमानित बजट							परिशिष्ट– 3.2
							रूपये लाखों में
अनु.	व्यय शीर्ष	गत वित्तीय वर्ष 2003–04 का वास्तविक व्यय	चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 का स्वीकृत बजट	वर्ष 2004–05 की आय			अनुमानित एवं प्रस्तावित बजट वर्ष 2005–06
				31.12.04 तक के वास्तविक ऑकड़े	01.01.05 से 31.03.05 तक के अनुमानित ऑकड़े	पुनरीक्षित बजट वर्ष 2004–05	
1	2	3	4	5	6	7	8
	व्यय के प्रमुख शीर्ष						
1	मण्डल की बैठक पर व्यय :						
1.2	सदस्यों का यात्रा भत्ता / दैनिक भत्ता	1.45	0.70	0.21	0.06	0.27	0.30
1.2	अल्पाहार	0.02	0.20	–	–	–	0.20
1.3	अन्य आनुषंगिक	0.03	0.45	–	–	–	0.50

	व्यय						
	योग (1)	**1.50**	**1.35**	**0.21**	**0.06**	**0.27**	**1.00**
2	**मण्डल के कर्मचारियों पर किया गया व्यय :**						
2.1	अधिकारियों का वेतन	0.72	3.79	0.72	0.32	1.04	20.61
2.2	कर्मचारियों का वेतन	0.75	6.85	2.26	1.29	3.55	70.76
2.3	मंहगाई भत्ता	0.37	6.16	0.53	0.27	0.80	50.27
2.4	नगरीय क्षतिपूर्ति भत्ता	0.02	0.20	0.02	0.01	0.03	0.67
2.5	गृह भाड़ा भत्ता	0.06	0.82	0.08	0.04	0.12	5.26
2.6	परिवहन भत्ता	—	0.12	0.01	—	0.01	0.36
2.7	यात्रा भत्ता		—	—	0.02	0.02	1.25
2.8	प्रतिनियुक्ति भत्ता	—	—	0.05	0.09	0.14	13.75
	योग (2)	**1.92**	**17.94**	**3.67**	**2.04**	**5.71**	**162.93**
3	**कार्यालयीन व्यय**						
3.1	पानी / बिजली	0.20	0.25	0.14	0.05	0.19	3.00
3.2	स्टेशनरी / टायपिंग / फोटाकापी	0.85	0.90	0.63	0.28	0.91	9.00
3.3	टेलीफोन	0.31	0.35	1.04	0.72	1.76	6.00
3.4	परिचय पत्र एवं अन्य प्रपत्रों का मुद्रण	11.85	1.00	7.25	1.41	8.66	15.00
3.5	परिवहन व्यय	2.48	3.00	1.40	0.86	2.26	3.50
3.6	डाक व्यय	0.07	0.15	0.28	0.08	0.36	5.00
3.7	लायब्रेरी व्यय	0.06	0.15		0.11	0.05	1.00
3.8	फर्नीचर / अन्य उपकरणों के रखरखाव पर व्यय	0.11	0.30	0.24	0.26	0.50	2.00
3.9	वाहनों का रखरखाव एवं चालन व्यय	—	—	1.69	1.75	3.44	9.00
3.1	बैंक कमीशन	0.59	—	1.17	0.59	1.76	2.00

3.11	कार्यशाला के सहभागियों का यात्रा व्यय	—	—	.—	0.34	0.34	0.50
3.12	कार्यालय भवन किराया	—	—	—	—	—	14.40
3.13	कलेक्टर दर पर एम्बुलेंस चालक का वेतन	—	—	—	—	—	3.50
3.14	अन्य आवर्ती व्यय	1.50	1.20	1.27	0.77	2.04	5.00
	योग (3)	**18.02**	**7.30**	**15.22**	**7.16**	**22.38**	**78.90**
4	**पूँजीगत व्यय**						
1	वाहन (अनुसूची अनुसार)	9.80	10.00	—	8.67	8.67	35.00
2	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर (अनुसूची अनुसार)	4.24	1.60	1.99	1.11	3.10	25.00
	योग (4)	**14.04**	**11.60**	**1.99**	**9.78**	**11.77**	**60.00**
5	**योजनाओं से सम्बन्धित व्यय**						
5.1	दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना– 04	—	10.00	—	—	—	10.00
5.2	बीमा सहायता (समूह बीमा) योजना – 04	—	10.00	—	17.75	17.75	50.00
5.3	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना– 04						
5.3.1	अंत्येष्टि सहायता		0.80	—	0.18	0.18	3.00
5.3.2	अनुग्रह भुगतान	—	3.20	—	1.50	1.50	12.00
5.4	शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना – 04	—	—	—	—	—	50.00

5.5	मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना – 04	–	50.00	–	–	–	7.00
5.6	प्रसूति सहायता योजना – 04	–	60.00	–	–	–	5.00
5.7	विवाह सहायता योजना– 04	–	–	–	–	–	10.00
5.8	निःशक्तता सहायता एवं पेंशन योजना–04	–	–	–	–	–	5.00
5.9	बीमा प्रीमियम के भुगतान के लिये सहायता योजना–04	–	–	–	–	–	3.00
5.10	चिकित्सा सहायता योजना– 04	–	–	–	–	–	15.00
5.11	आवास ऋण योजना – 2005	–	–	–	–	–	50.00
5.12	आवास ऋण पर ब्याज अनुदान – 2005	–	–	–	–	–	2.00
5.13	शिक्षा ऋण पर ब्याज अनुदान – 2005	–	–	–	–	–	1.00
5.14	बचत–सह–राहत योजना – 2005	–	–	–	–	–	2.00
5.15	शिक्षा ऋण योजना – 2005			–	–	–	50.00
5.16	ऋण विमुक्ति सहायता योजना – 2005			–	–	–	10.00
	योग (5)		**134.00**	**–**	**19.43**	**19.43**	**285.00**
6	**सामान्य कल्याणकारी कार्यकलापों पर व्यय**						
6.1	कल्याण तथा विकास योजनाओं के लाभ उठाने के लिये	– –	10.00	2.60	3.80	6.40	50.00

	जागरूकता का प्रचार एवं प्रसार करना						
6.2	खेलकूद, सांस्कृतिक तथा आमोद–प्रमोद के क्रियाकलाप	–	2.00	–	1.40	1.40	4.00
	योग (6)	–	**12.00**	**2.60**	**5.20**	**7.80**	**54.00**
	आवर्ती मदों का योग	**21.44**	**172.59**	**21.70**	**33.89**	**55.59**	**581.83**
	अनावर्ती मदों का योग	**14.04**	**11.60**	**1.99**	**9.78**	**11.77**	**60.00**
	कुल व्यय	**35.48**	**184.19**	**23.69**	**43.67**	**67.36**	**641.83**

परिशिष्ट – 4.1
(देखें कण्डिका/मद क्र. 12)

दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना – 2004

- निर्माण कर्मकार को बीमारी एवं दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए यह योजना प्रभावशील की गई है।
- योजना के अन्तर्गत निर्माण कर्मकारों का पंजीयन तथा अभिदाय राशि का भुगतान होना अनिवार्य है।
- योजना के अन्तर्गत दुर्घटना की स्थिति में 5 दिन अथवा अधिक दिनों तक चिकित्सालय में भर्ती रहकर उपचार आवश्यक होने पर प्रथमोपचार सहायता के रूप में रूपए 1000/– की प्रसुविधा दी जायेगी।
- दुर्घटना में चोट के कारण हाथ–पैर अथवा किसी अंग की हड्डी एवं शरीर का कोई अंग दुर्घटना ग्रसित होने से श्रमिक द्वारा किए गए चिकित्सा व्यय के

भुगतान का 50 प्रतिशत अथवा रूपए 20,000/– जो कम हो का भुगतान किया जायेगा।

- ❖ दुर्घटना के कारण कार्य से अनुपस्थित रहने पर मजदूरी क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु वास्तविक मजदूरी का 40 प्रतिशत अथवा रूपए 5000 जो भी कम हो का भुगतान किया जायेगा।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

दुघर्टना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना –2004

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना।

(प) यह योजना मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार दुघर्टना चिकित्सा सहायता योजना 2004 कहलाएगी।

(पप) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

(पपप) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (क) सहपठित मध्यप्रदेश नियम 2002 के नियम 279 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

(पअ) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हैं।

(2) परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(प) ''अधिनियम'' – अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है।

(पप) ''बोर्ड''– बोर्ड से आशय धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।

(पपप) ''सचिव''—सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।

(पअ) ''दुर्घटना''— दुघर्टना से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते—जाते समय अथवा किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने से है।

(अ) ''आश्रित''— आश्रित का आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, चाहे वह मृतक ही क्यों न हो, आश्रित माना जावेगा—

1— पत्नि अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
2— अवयस्क बच्चे
3— पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
4— आश्रित माता—पिता।

(अप) ''परिवार''— परिवार का आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क बच्चे जो अविवाहित हों, आश्रित माता पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे निर्माण श्रमिक के परिवार के रूप में सम्मिलित माने जाएंगे।

(अपप) परिभाषित न किये गये शब्दों का निवर्चन — उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन योजनाओं में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित हैं।

(3) योजना का विवरण—

(प) अधिनियम की धारा 22 (1) (क) सहपठित नियम 277 (1) के अनुसार दुघर्टना की स्थिति में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के प्रावधान को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड की द्वितीय बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार दुघर्टना की स्थिति में अभिदाय भुगतान करने की न्यूनतम अर्हता के बिना चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना है। इन प्रावधानों के अंतर्गत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के दुघर्टनाग्रस्त होने पर चिकित्सा सहायता बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराने हेतु यह योजना दुघर्टना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना प्रभावशील होगी। योजनांतर्गत दुघर्टना की दशा में प्रभावित निर्माण श्रमिक को चिकित्सा सहायता दी जाकर स्वास्थ्य लाभ की स्थिति तक पहुंचाया जावेगा वहीं दुघर्टना के कारण कार्य नहीं करने से निर्माण श्रमिक को मजदूरी आय की हानि होगी, जिसके लिये कुछ अनुपात में उसे वेतन हानि की क्षतिपूर्ति हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जावेगी।

(पप) **योजना का संचालन —**

इस योजना का संचालन बोर्ड द्वारा किया जावेगा। योजनांतर्गत दुघर्टना होने पर श्रमिक अथवा प्रतिनिधि द्वारा निर्धारित (संलग्न प्रपत्र 1 में) आवेदन अपने ठेकेदार/नियोजक से प्रमाणित कराकर बोर्ड को सीधे भेजा जावेगा अथवा स्थानीय श्रम कार्यालय में आवेदन जमा करने पर कार्यालय प्रमुख द्वारा बोर्ड को आवेदन अग्रेषित किया जावेगा।

(पपप) **योजना की शर्त —**

1/ निर्माण श्रमिक का अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत परिचय पत्र धारी होना आवश्यक है।

2/ निर्माण श्रमिक द्वारा दुघर्टना की स्थिति में आवेदन के साथ चिकित्सक का प्रमाणपत्र जिसमें दुघर्टना तथा शारीरिक क्षति का विवरण हो, संलग्न करना आवश्यक है।

(पअ) **दुघर्टना की सूचना–**

दुघर्टना की सूचना नियोजक जिसमें ठेकेदार सम्मिलित है, द्वारा अथवा प्रभावित श्रमिक के परिवार के सदस्यों द्वारा स्थानीय श्रम कार्यालय को दी जावेगी तथा उसकी एक प्रति बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी। दुर्घटना की स्थिति का प्रमाणीकरण जिला कलेक्टर/श्रम पदाधिकारी कराया जायेगा।

(4) प्रथमोपचार सहायता–

दुघर्टना से हिताधिकारी श्रमिक को चोट आने पर, जैसे कोई फ्रैक्चर होना, आंख में चोट आने, शरीर के किसी भाग में चोट आने जिससे उसके पांच अथवा अधिक दिनों तक चिकित्सालय में भर्ती रहकर उपचार आवश्यक हो, प्रभावित श्रमिक को प्रथमोपचार सहायता के रूप में रूपये 1,000 प्रदान किया जावेगा।

(5) चिकित्सा सहायता–

दुघर्टना में चोट के कारण अथवा हाथ, पैर या किसी अंग की हड्डी टूटने अथवा शरीर का कोई अंग दुघर्टनाग्रस्त होने से चिकित्सा व्यय जो श्रमिक द्वारा दिया जावेगा उसका पचास प्रतिशत अथवा रूपये 20,000 जो भी कम हो श्रमिक को भुगतान किया जावेगा। इसके अलावा यदि गंभीर दुघर्टना के कारण लंबे समय तक अर्थात एक माह से अधिक अवधि के लिये चिकित्सा आवश्यक है तथा श्रमिक पर काफी अधिक चिकित्सा का आर्थिक भार होता है, ऐसे प्रकरण विशेष प्रकरण के रूप में बोर्ड को प्रेषित किये जावेंगे, जिस पर बोर्ड द्वारा विचार कर अतिरिक्त चिकित्सा सहायता देने का निर्णय लिया जा सकता है। इस योजना में ऐसे हितलाभ जो जनश्री बीमा योजना या उसी नाम की योजना के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं तो दुर्घटना की स्थिति में चिकित्सा सहायता योजना 2004 के अन्तर्गत उपलब्ध कराना प्रतिबंधित होगा।

(6) मजदूरी क्षति का भुगतान–

हिताधिकारी श्रमिक के दुघर्टना से प्रभावित होने तथा पांच दिन से अधिक अस्पताल में भर्ती रहकर चिकित्सा कराने तथा दुघर्टना के कारण उसके चिकित्सकीय दृष्टि से स्वस्थ्य होने तक यदि वह काम के लिये नहीं जाता तो मजदूरी क्षति की प्रतिपूर्ति हेतु उसे हुई मजदूरी हानि का 40 प्रतिशत अथवा रू. 5,000 जो भी कम हो मजदूरी क्षति के रूप में भुगतान किया जावेगा।

(7) चिकित्सा सहायता तथा मजदूरी क्षति के भुगतान हेतु अपात्र–

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक द्वारा स्वेच्छा से लगाई गयी चोट या जानबूझकर असावधानी या आत्महत्या का प्रयास, या मादक दृव्य/पदार्थ के सेवन से हुई दुघर्टना या अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन कर या एक–दूसरे के झगड़े के कारण हुई चोट की स्थिति में यह चिकित्सा सहायता अथवा मजदूरी क्षति का लाभ नहीं दिया जावेगा।

(8) सक्षम अधिकारी–

योजना अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर चिकित्सा सहायता तथा मजदूरी क्षति की स्वीकृति सचिव द्वारा प्रदान की जावेगी। सचिव द्वारा मैदानी अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन भी कराया जावेगा, किन्तु जहां ऐसा प्रतीत हो कि दुघर्टना से क्षति अथवा लंबी अवधि की चिकित्सा की स्थिति विश्वसनीय है, वहां आवेदन को बिना किसी विलंब के स्वीकार किया जायेगा। स्वीकृति मंडल अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी होगी। यदि अध्यक्ष का अनुमोदन उपयुक्त समय में प्राप्त कर पाना संभव न हो तो कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा।

(9) चिकित्सा सहायता तथा मजदूरी क्षति का भुगतान –

दुघर्टना की स्थिति में चिकित्सा सहायता के लिये प्राप्त आवेदन जिसमें मजदूरी क्षति भी सम्मिलित हो अथवा नहीं का परीक्षण एवं सत्यापन उपरांत एकाण्ट पेयी चैक द्वारा संबंधित श्रमिक को चिकित्सा सहायता तथा मजदूरी क्षति राशि का भुगतान भेजा जावेगा। यह चैक संबंधित श्रमिक को सीधे अथवा जिले के श्रम कार्यालय के माध्यम से भेजा जावेगा। श्रम कार्यालय के प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रभावित श्रमिक को प्रत्यक्ष अथवा नियोजक/ठेकेदार के माध्यम से चैक प्रदान किया जावेगा। रूपये 1,000/– (एक हजार) का भुगतान वाहक चैक द्वारा श्रम कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा।

(10) विसंगति का निराकरण–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में अध्यक्ष का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

प्रारूप (ए)

दुघर्टना की स्थिति में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने हेतु

आवेदन–पत्र

1) हिताधिकारी का नाम –.....
2) पिता/पति का नाम –.....
3) जन्मतिथि/आयु –.....
4) पता –
   अ. वर्तमान पता –.....
   ब. स्थायी पता –.....
5) हिताधिकारी रजिस्ट्रीकरण क्रमांक –.....
6) दुघर्टना की विशिष्टयां –.....

7) क्षति का स्वरूप –.....

8) स्थान का विवरण, जहां दुर्घटना के समय नियोजित रहा –.....

9) संबंधित श्रम कार्यालय का नाम –.....

10) ठेकेदार/नियोजक/एजेंसी का नाम –.....
/पता(जहां हिताधिकारी नियोजित –.....
रहा) –.....

11) प्रमाणकर्ता सर्जन/चिकित्सक/
मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया –.....
गया प्रमाण पत्र (पूर्ण विवरण के साथ) –.....

12) अन्य विवरण –.....

स्थान – हिताधिकारी के
हस्ताक्षर/
दिनांक– अंगूठे का
निशान

(नाम सहित)

बीमा सहायता (समूह बीमा) योजना – 2004

- ❖ निर्माण कर्मकारों को प्रायः असुरक्षित कार्यदशाओं, जटिल परिस्थितियों तथा दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसी अप्रत्याशित दुर्घटनाओं से होने वाली क्षतिपूर्ति के लिए यह योजना प्रभावशील की गई है।
- ❖ योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक का पंजीयन तथा नियमित अभिदाय राशि का भुगतान आवश्यक है।
- ❖ निर्माण श्रमिक द्वारा मण्डल के अन्तर्गत पंजीयन कराने के उपरान्त से उसे बीमा सहायता (समूह बीमा) योजना– 2004 की पात्रता होगी।
- ❖ योजना के अन्तर्गत निर्माण कर्मकार की सामान्य मृत्यु की स्थिति में रूपए 20,000/– दुर्घटना में मृत्यु पर रूपए 50,000 तथा दुर्घटना में स्थाई पूर्ण अपंगता पर रूपए 50,000 का भुगतान उसे अथवा आश्रित को किया जायेगा।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

बीमा सहायता (समूह बीमा) योजना – 2004

(1) संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना।

(प) यह योजना मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार बीमा सहायता योजना 2004 कहलाएगी।

(पप) यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

(पपप) यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (क) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 279 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

(पअ) यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हैं।

(2) परिभाषाएं – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

(प) **''अधिनियम''** – अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है।

(पप) **''बोर्ड''**– बोर्ड से आशय धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।

(पपप) **''सचिव''**–सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।

(पअ) **''दुर्घटना''**– दुघर्टना से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते–जाते समय अथवा किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने से है।

(अ) **''आश्रित''–** आश्रित का आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, चाहे वह मृतक ही क्यों न हो, आश्रित माना जावेगा।

- पत्नि अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
- अवयस्क बच्चे
- पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
- माता–पिता।

(अप) **''परिवार''–** परिवार का आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) अवयस्क बच्चे जो (विवाहित अथवा अविवाहित हों) आश्रित माता पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे निर्माण श्रमिक के परिवार के रूप में सम्मिलित माने जाएंगे।

(अपप) **''निगम''**– से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम से है।

(अपपप) **''जनश्री बीमा योजना''**– जनश्री बीमा योजना से आशय भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा

प्रवर्तित जनश्री बीमा योजना से है और इसमें निगम द्वारा समय पर किये गये संशोधन भी शामिल हैं।

(पग) **परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन** – उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन योजनाओं में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित है।

(3) योजना का विवरण–

(प) निर्माण श्रमिकों को धारा 22 (1) (क) सहपठित नियम 277 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये समूह बीमा योजना भारतीय जीवन बीमा निगम (जिसे आगे केवल निगम कहा जावेगा) द्वारा प्रचलित जनश्री बीमा योजना, जिस रूप में निगम द्वारा प्रभावशील है निर्माण श्रमिकों के लिये उन्हीं शर्तों तथा अनुलाभों सहित प्रभावशील होगी।

(पप) **पात्रता –**

1/ 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे।

2/ गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले निर्माण श्रमिकों का इस योजना के अंतर्गत बीमा हो सकेगा।

3/ समूह की पात्रता और अधिसूचना जीवन बीमा निगम द्वारा नोडल एजेंसी (बोर्ड) की सलाह से निर्धारित की जायेगी।

4/ बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा उनके लिये यह योजना प्रवर्तित होगी।

(पपप) **हितलाभ –**

1/ सदस्य की सामान्य मृत्यु पर रूपये 20,000.00

2/ दुघर्टना में मृत्यु होने पर रूपये 50,000.00

3/ दुघर्टना में स्थायी, पूर्ण अपंगता पर रूपये 50,000.00

4/ दुघर्टना में दो आंख या दो हाथ–पांव या एक आंख और एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 50,000.00

5/ दुघर्टना में एक आंख या एक हाथ या पांव अक्षम होने पर रूपये 25,00000 का लाभ श्रमिक/आश्रित को दिया जायेगा।

(पअ) **प्रीमियम–**

प्रत्येक सदस्य के लिये रूपये 200.00 वार्षिक प्रीमियम देय होगा जिसमें 50 प्रतिशत रूपये 100.00 निर्माण श्रमिकों की ओर से बोर्ड द्वारा दिया जावेगा तथा शेष पचास प्रतिशत प्रीमियम भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा निधि द्वारा वहन किया जावेगा।

(अ) **नोडल एजेंसी –**

निर्माण श्रमिकों के संबंध में बोर्ड नोडल एजेंसी होगा तथा बोर्ड द्वारा सभी परिचय पत्र धारी श्रमिकों की ओर से बीमा संबंधी औपचारिकताएं पूरी की जावेंगी।

(4) **दावा कार्यप्रणाली –**

(प) मृत सदस्य के हिताधिकारी को मृत्यु प्रमाण पत्र की मूलप्रति नोडल एजेंसी (बोर्ड) को देना होगी। बोर्ड द्वारा दावा फार्म भारतीय जीवन बीमा निगम की शाखा में भेजा जावेगा तथा जीवन बीमा निगम द्वारा दावे का निपटारा अकाउण्ट पेयी चैक हिताधिकारी के नाम से जारी कर, किया जावेगा। दुघर्टना से मृत्यु होने की स्थिति में उपयुक्त विवेचना तथा प्रामाणिकता की जांच की जायेगी।

(पप) दुघर्टना में अपंग होने अथवा किसी अंग के अक्षम होने की स्थिति में चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ बोर्ड को निर्माण श्रमिक द्वारा (प्रपत्र 1 में) आवेदन दिया जावेगा तथा बोर्ड द्वारा आवेदन भारतीय जीवन बीमा निगम को अग्रेषित किया जावेगा जिसके परीक्षण उपरांत भारतीय जीवन बीमा निगम एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से हिताधिकारी को भुगतान करेगा।

(5) **अन्य लाभ – शिक्षा सहयोजना का लाभ–**

गरीबी रेखा के नीचे के जनश्री बीमा योजना के धारकों को दो बच्चों तक कक्षा 9 से 12 तक के लिये 100.00 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जावेगी। शिक्षा सहयोग

योजनांतर्गत हिताधिकारी को अथवा नोडल एजेंसी (बोर्ड) को कोईपृथक प्रीमियम नहीं देना होगा।

(6) समूह बीमा (जनश्री बीमा योजना) की प्रक्रिया –

बोर्ड द्वारा जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में पंजीवद्ध किये गये निर्माण श्रमिकों की सूची जिसमें निर्माण श्रमिकों का नाम, पता तथा उनके नामांकितों (आश्रितों) के नाम के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम को समूह में निर्माण श्रमिकों को जनश्री बीमा योजना की परिधि में लाने के लिये आवेदन करना होगा तथा निर्माण श्रमिकों के समूह बीमा हेतु रू. 100.00 प्रति सदस्य प्रीमियम बोर्ड द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को अदा किया जायेगा।

(7) विसंगति का निराकरण–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में अध्यक्ष का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

प्रारूप (८)

समूह बीमा योजना (जनश्री बीमा योजना) के अंतर्गत दुघर्टना की स्थिति में लाभ प्राप्त करने हेतु
आवेदन–पत्र

1) हिताधिकारी का नाम —.....
2) पिता/पति का नाम —.....
3) जन्मतिथि/आयु —.....
4) पता —
अ. वर्तमान पता —.....
ब. स्थायी पता —.....
5) हिताधिकारी रजिस्ट्रीकरण क्रमांक —.....
6) दुघर्टना की विशिष्टियां —.....
7) क्षति का स्वरूप —.....
8) नामांकित व्यक्ति का नाम/पता —.....
9) उस स्थान का विवरण जहां दुघर्टना के समय नियोजित रहे —.....
10) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति —.....
11) चिकित्सीय परीक्षा का प्रमाण पत्र —.....
12) अन्य विवरण —.....

स्थान :
दिनांकः
का
निशान

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक
अथवा आश्रित किसी सदस्य
हस्ताक्षर/अंगूठे का
नाम सहित

(मण्डल कार्यालय द्वारा भरा जावे)

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक/आश्रित श्री/सुश्री.....
.....द्वारा प्रस्तुत उक्त आवेदन का परीक्षण किया। परीक्षण में वर्णित दुघर्टना/मृत्यु की स्थिति सही पायी गयी उक्त आवेदन बीमा राशि के भुगतान हेतु मध्य क्षेत्रीय कार्यालय भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल की ओर अग्रेषित है।

स्थान .....
दिनांक.....

सचिव/सहायक सचिव

मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना– 2004

- निर्माण कर्मकारों की मृत्यु की दशा में आर्थिक अभाव के कारण अंत्येष्टि कार्यक्रम के लिए तथा मृत्यु उपरान्त अचानक आय के स्त्रोत बन्द हो जाने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए यह योजना प्रभावशील की गई है।
- योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक का पंजीयन तथा नियमित रूप से अभिदाय का भुगतान आवश्यक है।
- योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर तुरंत अथवा 1 सप्ताह के अन्दर रूपए 2000/– अंत्येष्टि सहायता राशि उसके आश्रित को दी जायेगी।
- हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसकी आयु 45 वर्ष से कम होने पर रूपए 20,000/– तथा 45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर रूपए 15,000 उसके उत्तराधिकारी को अनुग्रह राशि का भुगतान किया जायेगा।
- हिताधिकारी निर्माण श्रमिक के उत्तराधिकारी के रूप में पति/पत्नी जैसी भी स्थिति हो अथवा उसके पुत्र अथवा अविवाहित पुत्री को माना जाएगा।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना– 2004

(क) **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना।**

1/ यह योजना मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकारों के लिये मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना 2004 कहलाएगी।

2/ यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

3/ यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (क) सहपठित मध्यप्रदेश नियम 2002 के नियम 279 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

4/ यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी परिचय पत्र धारी हैं।

(ख) **परिभाषाएं** – इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

1/ ''अधिनियम'' – अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) अभिप्रेत है।

2/ ''बोर्ड''– बोर्ड से आशय धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन गठित भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है।

3/ ''सचिव''–सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त बोर्ड के सचिव से अभिप्रेत है।

4/ ''दुर्घटना''– दुघर्टना से तात्पर्य कार्य के दौरान, कार्य स्थल से घर आते–जाते समय अथवा किसी भी रूप में हिताधिकारी निर्माण श्रमिक दुर्घटनाग्रस्त होने से है।

5/ ''आश्रित''– आश्रित का आशय ऐसे पंजीकृत हिताधिकारी निर्माण श्रमिक का निम्नानुसार कोई भी रिश्तेदार, चाहे वह मृतक ही क्यों न हो, आश्रित माना जावेगा–

1– पत्नि अथवा पति (यथास्थिति अनुसार)
2– बच्चे
3– पूर्व मृतक बेटे की विधवा और बच्चे
4– माता–पिता।

6/ ''परिवार''– परिवार का आशय निर्माण श्रमिक के पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) बच्चे जो विवाहित अथवा अविवाहित हों, आश्रित माता पिता और मृतक बेटे की विधवा एवं बच्चे निर्माण श्रमिक के परिवार के रूप में सम्मिलित माने जाएंगे।

7/ परिभाषित न किये गये शब्दों का निवर्चन – उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन योजनाओं में परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम/नियम में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम में परिभाषित हैं।

(ग) योजना का विवरण –

1/ प्रस्तावना–

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तें) अधिनियम 1996 की धारा 22 (1) (ज) सपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 277 (1) के अंतर्गत निर्माण श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये यह योजना होगी। इस योजना का लाभ सभी हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी निर्माण श्रमिकों को मिलेगा।

2/ पात्रता –

1/ 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे।
2/ बोर्ड द्वारा हिताधिकारी निर्माण श्रमिक जिनका धारा 12 के अंतर्गत पंजीयन होगा उनके लिये यह योजना प्रवर्त्तित होगी।

3/ उत्तराधिकारी–

परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक का पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नहीं होने पर पुत्र अथवा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नि या पुत्र/पुत्री न हो तो उनके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सबके नहीं होने पर ऐसा व्यक्ति जो उसके आश्रित हो, उत्तराधिकारी होगा।

4/ अंत्येष्टि सहायता–

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु के तुरंत अथवा एक सप्ताह के अंदर रू. 2,000 अंत्येष्टि सहायता राशि दी जायेगी।

5/ अनुग्रह राशि –

हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु के कारण उसके उत्तराधिकारियों को सहायता प्रदान की जावेगी, यह राशि उत्तराधिकारी को एक से छै माह की अवधि में यथासंभव प्रदान की जावेगी। अनुग्रह राशि निम्नानुसार दी जायेगी :–

1	45 वर्ष से कम आयु में मृत्यु होने पर	रू. 20,000
2	45 वर्ष से 60 वर्ष की आयु में मृत्यु होने पर	रू. 15,000

घ. आवेदन/भुगतान की प्रक्रिया–

1– हिताधिकारी निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी द्वारा संबंधित श्रम कार्यालय के माध्यम से अथवा सीधे बोर्ड को आवेदन (संलग्न प्रारूप 1 में) भेजा जावेगा। आवेदन का परीक्षण कर एक सप्ताह की अवधि में चैक के माध्यम से सीधे आवेदक को अथवा संबंधित श्रम कार्यालय के माध्यम से उसे अंत्येष्टि सहायता का भुगतान किया जावेगा।

2– मृतक श्रमिक के उत्तराधिकारी से प्राप्त आवेदन का परीक्षण, मृतक की आयु का सत्यापन कर एक से छै माह की अवधि में अनुग्रह राशि का भुगतान मृतक के उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को किया जायेगा।

ड. अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के लिये अपात्र –

अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गयी आत्महत्या या मादक दृव्यों या पदार्थों के सेवन से हुई मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक–दूसरे से हुई मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नहीं की जावेगी।

च. सक्षम अधिकारी–

अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि की स्वीकृति के लिये सक्षम अधिकारी सचिव होंगे। प्राप्त आवेदन का सत्यापन मैदानी श्रम अधिकारी से कराया जाकर, भुगतान की स्वीकृति दी जावेगी, किन्तु जिन प्रकरणों में विश्वसनीय परिस्थिति है वहां सचिव द्वारा अभिलेखीय स्थिति के आधार पर भुगतान की स्वीकृति दी जा सकेगी।

छ. विसंगति का निराकरण–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में सचिव का इस संबंध में निर्णय अंतिम माना जावेगा।

प्रारूप (९)

मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान प्राप्त करने हेतु आवेदन–पत्र

1) हिताधिकारी का नाम –.....
2) पिता/पति का नाम –.....
3) जन्मतिथि/आयु –.....
5) पता –
   अ. वर्तमान पता –.....
   ब. स्थायी पता –.....
6) हिताधिकारी रजिस्ट्रीकरण क्रमांक –.....
7) संबंधित श्रम कार्यालय का नाम –.....
8) दुघर्टना की विशिष्टियां –.....
9) क्षति का स्वरूप –.....
10) उस स्थान का विवरण जहां दुघर्टना के समय हिताधिकारी नियोजित रहा –.....
11) उत्तराधिकारी का नाम/पता –.....
12) आवेदनकर्ता का नाम/पता –.....
13) मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति –.....
14) प्रमाणकर्ता सर्जन/चिकित्सीय निरीक्षक /मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र– (यदि हो तो) –.....

स्थान –
श्रमिक
दिनांक –

हिताधिकारी निर्माण के उत्तराधिकारी का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

(नाम सहित)

शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना – 2004

- ❖ पंजीबद्ध निर्माण कर्मकारों के पुत्र एवं पुत्रियों को शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु आर्थिक सहायता के रूप में यह योजना लागू की गई है।
- ❖ योजना के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक का पंजीयन तथा नियमित रूप से अभिदाय का भुगतान आवश्यक है।
- ❖ योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से पांचवीं तक 50 रूपये, छठवीं से आठवीं तक 75 रूपए, 9 वीं से 12 वीं तक 100 रूपए, स्नातक के लिए 150 रूपए, स्नात्कोत्तर एवं पॉलिटेक्निक पाठ्यक्रम के लिए 225 रूपए, एम.बी.बी.एस., बी.ई. के लिए 300 रूपए तथा एम.एस., एम.डी. एवं एम.ई. के लिए 400 रूपए प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- ❖ छात्राओं को प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये छात्रों से अधिक छात्रवृत्ति की राशि प्रदान की जायेगी।
- ❖ पूर्व माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के विद्यालय उनके मूल निवास से 10 किमी दूर होने पर क्रमशः 25 रूपए तथा 35 रूपए प्रतिमाह विशेष छात्रवृत्ति दी जायेगी।
- ❖ छात्रवृत्ति का भुगतान 3 किश्तों में अक्टूबर, जनवरी तथा आगामी जुलाई माह में किया जायेगा।

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना – 2004

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिधि और लागू होना** :–

1.1 यह योजना म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार के बच्चों के लिये शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना –2004 कहलाएगी।

1.2 यह योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

1.3 यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (1) (ड.) सहपठित नियम 2002 के नियम 279 के अन्तर्गत मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

1.4 यह योजना उन भवनों और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे हुए हैं तथा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत पंजीबद्ध एवं धारा–13 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हैं।

2. **परिभाषाएं** :

इस योजना में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो य

2.1 ''**अधिनियम**'' – अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है;

2.2 ''**नियम, 2002**'' – नियम, 2002 का आशय '' म.प्र. भवन और संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 से अभिप्रेत है;

2.3 ''**मण्डल**'' – मण्डल का आशय धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन गठित म.प्र. भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है;

2.4 ''**सचिव**''– सचिव का आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के सचिव से अभिप्रेत हैय

2.5 ''**शिक्षा स्तर**'''– शिक्षा स्तर का तात्पर्य कक्षा पहली से बारहवीं, स्नातक तथा स्नात्कोत्तर की कक्षाओं से अभिप्रेत है। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक, माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8 वीं तक, उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 12 वीं तक, स्नातक, स्तर बी.ए., बी.कॉम., बी.एस.सी., बी.ई., एम.बी.बी.एस, तथा अन्य सभी स्नातक, स्नात्कोत्तर, एम.ए., एम. कॉम., एम.एस.सी., एम.ई., एम.डी., एम.एस. तथा अन्य डिप्लोमा जैसे आई.टी.आई. पॉलिटेक्निक, डी.सी.ए., एम.सी.ए. एवं अन्य समकक्ष आदि।

2.6 **''छात्र''**– छात्र का तात्पर्य उन छात्र/छात्राओं से है जो किसी शासकीय शिक्षण संस्था में या केन्द्र/म.प्र. राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर शासकीय शिक्षण संस्थान में अध्ययन कर रहे हैं।

2.7 **''शिक्षण संस्था''**– शिक्षण संस्था का आशय शोसकीय, केन्द्र/म.प्र. राज्य शासन से मान्यता प्राप्त गैर शासकीय शिक्षण संस्था जिसके अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, डिप्लोमा आदि का शिक्षण कार्य संचालित किया जाता है।

2.8 **परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन** – उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम/नियम 2002 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम 2002 में परिभाषित है।

3 योजना का विवरण :–

3.1 प्रस्तावना :–

निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता प्रदान करने हेतु मुख्य अधिनियम की धारा 22 (1) (ड.) सहपठित नियम, 2002 का नियम 277 के अन्तर्गत छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना प्रभावशील की जानी है ताकि निर्माण कर्मकार के बच्चों को उपयुक्त शिक्षा हेतु प्रेरित किया जा सके एवं आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया जा सके।

3.2 पात्रता :–

3.2(1) पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के पुत्र/पुत्री/पत्नी ही शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के लिये पात्र होंगे।

3.2(2)(प) छात्र अथवा छात्रा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत विद्यार्थी हो ;

3.2(2)(पप) हिताधिकारी की पत्नी को छात्रवृत्ति की पात्रता के लिये यह आवश्यक शर्त है कि उसकी आयु 35 वर्ष से अधिक न हो तथा शिक्षण संस्था में नियमित अध्ययनरत छात्रा हो।

3.2(3) छात्र/छात्राएं जो कक्षा 1 से 5 वीं, 6 वीं से 8 वीं, 9 वीं से 12 वीं, स्नातक, बी.ए., बी.कॉम., बी.एससी., बी.ई., एम.बी. बी.एस, तथा अन्य सभी स्नातक, स्नात्कोत्तर, एम.ए., एम.कॉम.,एम.एस.सी., एम.ई., एम. डी. एम.एस. तथा अन्य डिप्लोमा जैसे आई.टी.आई., पॉलिटेक्निक, डी.सी.ए., एम.सी.ए. आदि की शिक्षा, शासकीय अथवा केन्द्र/राज्य शासन द्वारा मान्यता प्रापत शिक्षण संस्था में प्राप्त कर रहे हों।

3.2(4) किसी पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी की अधिकतम दो संतान अथवा एक संतान एवं पत्नी को एक समय में छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी, परन्तु यदि पति पत्नी दोनों पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी हो इस परिस्थिति में पति पत्नी के अधिकतम दो ही शिक्षारत बच्चों को इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

3.2(5) छात्र/छात्रा को किसी अन्य स्त्रोत से अथवा इस अधिनियम/नियम, 2002 के अधीन अन्य कोई छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो।

3.2(6) किसी वर्ष के लिये छात्रवृत्ति सुसंगत परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् ही देय होगी।

3.2(7) ग्रीष्म अवकाश के बाद शिक्षण संस्था खुलने पर छात्र/छात्रा तीन माह के अन्तर्गत प्रवेश प्राप्त कर उपस्थित होता है तब ही उसे छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।

3.2(8) प्रत्येक छात्र/छात्रा को छात्रवृत्ति पाने हेतु निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा स्थानीय मंडल कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

3.2(9) अधिनियम की धारा–17 तथा नियम, 2002 के नियम 274 उपनियम–3 के प्रावधानानुसार हिताधिकारी लगातार एक वर्ष की कालावधि तक अभिदाय का संदाय नहीं करता है तो वह हिताधिकारी नहीं रहेगा

अतः ऐसे अभिदाय के संदाय में चूक करने वाले निर्माण श्रमिक के पुत्र/पुत्री/पत्नी को देय इस योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति तुरंत प्रभाव से स्थगित कर दी जायेगी, परन्तु उपरोक्त धारा एवं नियम के परन्तुक के अधीन हिताधिकार पुनर्स्थापन ;त्मेजवतंजपवदद्ध होने पर इस छात्र–वृत्ति का भुगतान पुनः प्रारम्भ हो जायेगा।

3.3 <u>छात्रवृत्ति आवेदन तथा स्वीकृति की प्रकिया :–</u>

योजना के अन्तर्गत निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के बच्चों के द्वारा संलग्न प्रपत्र (1) में आवेदन स्थानीय मण्डल कार्यालय अथवा श्रम कार्यालय में जमा किया जावेगा। प्राप्त आवेदन पत्र के परीक्षण उपरांत आवेदन पत्र मण्डल को अग्रेषित किये जावेंगे। प्रदेश के सभी आवेदन पत्रों पर मण्डल के अध्यक्ष के अनुमोदन उपरांत छात्रवृत्ति अकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से योजना की कण्डिका 3.4 की दर से एवं कण्डिका 3.7 के अनुसार 3 किश्तों में भुगतान की जायेगी।

3.4 <u>छात्रवृत्ति दरें :–</u>

छात्रवृत्ति निम्नलिखित दरों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिये स्वीकृत की जावेगी। यह छात्रवृत्ति ग्रीष्म अवकाश अवधि को छोड़कर 10 माह के शिक्षा सत्र के लिये दी जायेगी :–

		मासिक दरें	
		छात्र	छात्राएं
(1)	कक्षा 1 से 5 वीं तक	50	60
(2)	कक्षा 6 वीं से 8 वीं तक	75	90
(3)	कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक	100	120
(4)	(बी.ए., बी.कॉम, बी.एससी., आई.टी.आई. डी.सी.ए.)	150	175
(5)	पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, एम.ए., एम.कॉम. एम.एस.सी., एम.बी.ए., एम.सी.ए., बी.एफ.एस.सी., बी.लिब., बी.वी.एस.सी.	225	250
(6)	एम.बी.बी.एस., बी.ई., बी.ए.एम.एस., बी.टेक, स्नात्कोत्तर	300	350
(7)	पीजी.एमएस. एम.डी., एम.टेक, एम.ई. आदि	400	450

3.5 विशेष छात्रवृत्ति :–

पूर्व माध्यमिक (मिडिल) तथा उच्चतर माध्यमिक (हाईस्कूल) शालाओं के विद्यार्थियों को जिनका निवास स्थान यदि संस्था से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित है तो ऐसे छात्र/छात्राओं को क्रमशः रूपये 25 (प्रति माह) पूर्व माध्यमिक कक्षा तथा रूपये 35 (प्रति माह) उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति दी जावेगी। विशेष छात्रवृत्ति के लिये यह प्रमाण पत्र आवश्यक है कि छात्र के निवास स्थान से 10 किलोमीटर के अन्दर ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है जहां वह शिक्षण हेतु प्रवेश पा सके।

3.6 छात्रवृत्ति अवधि, छुट्टियां इत्यादि :–

छात्रवृत्ति हेतु विद्यार्थी को वर्ष में केवल 10 माह के लिए ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता होगी अर्थात् 1 जुलाई से 30 अप्रैल तक की अवधि के लिये छात्रवृत्ति दी जायेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा सत्र में कुल दस दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 60 दिनों की बीमारी के आधार पर अवकाश की सिफारिश संस्था प्रमुख द्वारा करने पर ही छात्रवृत्ति निरन्तर रखी जावेगी। अन्य कारणों से किसी एक माह में 15 दिन से अधिक अनुपस्थित रहने पर उस माह की छात्रवृत्ति देय नहीं होगी तथा 10 माह के शिक्षा सत्र के दौरान लगातार दो माह तक अनुपस्थित रहने पर अनुपस्थिति प्रारम्भ होने के माह से शिक्षा सत्र की शेष अवधि के लिये छात्रवृत्ति निरस्त की जा सकेगी।

3.7 छात्रवृत्ति का भुगतानः–

छात्रवृत्ति का भुगतान–छात्र/छात्राओं को निर्धारित दरों पर स्वीकृत छात्रवृत्ति का भुगतान तीन किश्तों में निम्नानुसार किया जावेगा :–

क्रं.	किश्त	अवधि	भुगतान करने की तिथि
1)	प्रथम किश्त	माह जुलाई से सितंबर	अक्टूबर माह
2)	द्वितीय किश्त	माह अक्टूबर से दिसंबर	जनवरी माह
3)	तृतीय किश्त	माह जनवरी से अप्रैल	जुलाई माह

स्थानीय श्रम कार्यालय/स्कूल कमेटी के सदस्य/नियोजक के प्रतिनिधि/श्रमिक संगठन के प्रतिनिधि अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों के

सामने छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान स्थानीय श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदा–धिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/मण्डल मुख्यालय अथवा मण्डल के स्थानीय अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

4 **नोडल एजेन्सी :–**

निर्माण कर्मकार के बच्चों को शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना के सम्बन्ध में स्थानीय श्रम कार्यालय, मण्डल कार्यालय नोडल एजेन्सी होगी तथा नोडल अधिकारी (कार्यालय प्रमुख)/नोडल एजेंसी द्वारा सभी हितग्राही कर्मकार के परिचय–पत्र के आधार पर उनकी ओर से छात्रवृत्ति सम्बन्धी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति की जायेगी।

5 **सामान्य विनियम :–**

5.1 छात्रवृत्ति पाने के इच्छुक छात्र/छात्रा को चाहे नया प्रकरण हो अथवा नवीनीकरण का प्रकरण हो संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र भरकर स्थानीय श्रम कार्यालय/स्थानीय मण्डल कार्यालय में प्रत्येक वर्ष दिनांक 31जुलाई तक प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र सम्बन्धित श्रम कार्यालय/स्थानीय मण्डल कार्यालय से प्राप्त किये जा सकेंगे।

5.2 ऐसे विद्यार्थी जिन्हें शासकीय निधि अथवा गैर सरकारी संस्थाओं को शासन द्वारा मिलने वाली सहायता अनुदान से छात्रवृत्तियों/छात्रावास,शिष्य वृत्तियां मिलती हैं, छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी किन्तु यदि किसी छात्र/छात्रा को अपंग छात्रवृत्ति मिलती हो तो उन्हें इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति की पात्रता नियमानुसार रहेगी।

6 **विसंगति का निराकरण :–**

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है उस स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष का इस सम्बन्ध में निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, डी–ब्लाक, पुराना सचिवालय. भोपाल

प्रपत्र ८

(हिताधिकारी निर्माण कर्मकार के बच्चों के लिए शिक्षा सहायता (छात्रवृत्ति) योजना हेतु आवेदन–पत्र)

(यह आवेदन–पत्र स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा स्थानीय मण्डल कार्यालय को 31 जुलाई तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है।)

यहॉ आवेदक को पासपोर्ट साईज का फोटो जिस पर उसके हस्ताक्षर हों, चिपकाना चाहिए.

भाग (अ)

(प्रविष्टियां आवेदक द्वारा साफ–साफ स्पष्ट अक्षरों में भरी जायें)

(1) आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) श्री / श्रीमती / कुमारी.....
.....

(2) जन्मतिथि .....

(3) मूल निवासी / स्थायी पता .....
जिला.....
पूरा स्थायी पता .....
.....

(4) पिता / पति का नाम (पूरा नाम लिखे) .....
.....

(5) पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार से सम्बन्धित जानकारी

5.1. हिताधिकारी का नाम .....

5.2. पंजीयन क्रमांक .....

5.3. आवेदन कर्ता से संबंध .....

(6) यदि पति–पत्नी दोनों पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी हैं उनके सम्बन्ध में जानकारी

6.1 हिताधिकारी पिता का नाम .....
एवं पंजीयन क्रं. .....

6.2 हिताधिकारी माता का नाम .....
एवं पंजीयन क्रं. .....

नोट– यदि छात्र / छात्रा के पिता व माता दोनों हिताधिकारी हैं तो उपरोक्त 6.1 व 6.2 की प्रविष्टियां
अनिवार्य है।

(7) पालक का नाम, पूरा पता तथा आवेदक से संबंध
नाम.....
पता.....
संबंध (रिश्तेदारी) .....

(8) विगत दो वर्षों की परीक्षाओं का विवरण दें (अंक सूचियों की अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करें) शिक्षा सत्र में हुआ कोई व्यवधान रिमार्क के खाने में दर्शाया जाना चाहिएः–

क्रमांक विवरण गतवर्ष के पूर्व के वर्ष का विवरण गतवर्ष का विवरण

1 परीक्षा का नाम ....
2 संस्था का नाम ....
3 वि.वि./शिक्षा बोर्ड ....
4 परीक्षा का वर्ष (सन्) ....
5 परीक्षा उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण..... .....
6 यदि उत्तीर्ण की
6.1 श्रेणी ....
6.2 पूर्णांक तथा प्राप्तांक ....
6.3 प्राप्तांक प्रतिशत ....
7 विशेष विवरण (शिक्षा सत्र मे ....
....
व्यवधान का विवरण)

(9) क्या पिछले वर्षों में कभी कोई छात्रवृत्ति मिली थी? हॉ/नहीं, यदि हॉ तो सूचित कीजिए,
(अन्य किसी योजना के अन्तर्गत) (1) छात्रवृत्ति की राशि.....
..
योजना का नाम.....
..

(2) उस पाठ्यक्रम का नाम जिसके लिये छात्रवृत्ति मिली थी व वर्ष
(2.1) पाठ्यक्रम .....
(2.2) वर्ष .....
(3) उस संस्था का नाम जिसके माध्यम से छात्रवृत्ति मिली थी

(10) उस संस्था का नाम जहॉ इस वर्ष अध्ययनरत हैं। .....
10.1. वह पाठ्यक्रम जिसके लिए आवेदक द्वारा ..... छात्रवृत्ति चाही गई है।
10.2. इस वर्ष किस कक्षा में अध्ययनरत हैं।.....
10.3. कक्षा में प्रवेश की तिथि .....

(11) निम्नांकित प्रमाण–पत्रों को साथ लगायेंः–
अ. अंक सूची की अभिप्रमाणित प्रतिलिपियॉ .....
ब. हिताधिकारी परिचय पत्र की छायाप्रति .....

(12) क्या आपको इस वर्ष किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति .....
...
/शिष्यवृत्ति प्राप्त हो रही है? यदि हॉ, तो .....
...
नाम व राशि .....

(13) क्या आप कोई पूर्णकालीन सेवा करते हैं? हॉ/नहीं .....
....

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने योजना के विनियम पढ़ लिये हैं तथा इस आवेदन–पत्र में मेरे/हमारे द्वारा दिये गये विवरण सही हैं। मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि यदि मेरे/हमारे द्वारा दिया गया कोई विवरण ऐसे अधिकारी द्वारा जिसका निर्णय अन्तिम होता है गलत पाया गया तो उसका निर्णय मेरे/हमारे लिये अन्तिम और बन्धनकारी होगा और मेरे/हमारे द्वारा प्राप्त की गई पूर्ण छात्रवृत्ति की रकम या अधिक भुगतान की कोई छात्रवृत्ति की रकम मुझसे/हमसे मांगी जाने पर वापिस करूँगा/करेंगे तथा ऐसा न किए जाने पर छात्रवृत्ति प्रदान करने वाला प्राधिकारी, यह रकम ऐसे किसी भी तरीके से, जो उचित समझे वसूल कर सकेगा।

(1) आवेदक के हस्ताक्षर .....

(2) पिता/पालक के हस्ताक्षर अथवा
निशानी दाहिना, बायां अंगूठा .....
.....

(3) पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में .....
.

.....
(4) छात्र से सम्बन्ध (रिश्तेदारी).....
.
स्थान ..... (5) पिता/पालक का धन्धा .....
.
दिनांक .....

भाग (ब)

(उस संस्था के प्रमुख द्वारा भरा जाय जहॉ आवेदक अध्ययनरत हो)

(1) पाठ्यक्रम की अवधि जिसमें आवेदक अध्ययनरत है .....

(2) प्रमाणित किया जाता है :–

(1) आवेदक द्वारा भाग (अ) में दी गई जानकारी जॉची गई एवं वह सही है जानकारी में जहॉ संशोधन आवश्यक था उसको लाल स्याही से अंकित किया गया है।

(2) पाठ्यक्रम जिसमें आवेदक अध्ययनरत है वह .....पाठ्यक्रम है.

यह संस्था ..... विश्वविद्यालय/मण्डल से संबद्ध है तथा भारत सरकार/राज्य शासन .....द्वारा मान्यता प्राप्त है, आवेदक इस संस्था में .. .. पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है जिसमें प्रवेश पाने के लिये न्यूनतम योग्यता ....पास है।

.....

संस्था के प्रमुख के हस्ताक्षर

नाम स्पष्ट अक्षरों में .....

पद नाम .....

क्रमांक ..... पता .....स्थान .....

संस्था की मुहर .....दिनांक ....

मेधावी छात्र/छात्राओं को ''नगद पुरस्कार'' योजना–2004

- ❖ पंजीबद्ध निर्माण कर्मकारों के पुत्र/पुत्रियों द्वारा हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी परीक्षा में अधिक अंक अर्जित करने पर उन्हें प्रोत्साहित करने के लिये यह योजना प्रभावशील की गई।
- ❖ योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्माण श्रमिकों का पंजीयन तथा नियमित रूप से अभिदाय राशि का भुगतान करना आवश्यक है।
- ❖ हाईस्कूल परीक्षा 65 प्रतिशत अथवा अधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण करने वाले प्रथम वरीयता प्राप्त छात्र को 800.00 रूपए, द्वितीय वरीयता के लए 700.00 रूपये तथा तृतीय वरीयता के लिए 500 रूपए नगद पुरस्कार दिया जायेगा।
- ❖ हायर सेकेण्डरी परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक से उत्तीर्ण होने पर प्रथम वरीयता के छात्र/छात्रा को 1000.00 रूपए, द्वितीय वरीयता के लिए 800.00 रूपए तथा तृतीय वरीयता के लिए 700.00 रूपए प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।
- ❖ हाईस्कूल तथा हायर सेकेण्डरी दोनों परीक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि प्रत्येक जिले में 3 छात्रों तथा 3 छात्राओं को दी जायेगी।
- ❖ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल की परीक्षा उत्तीर्ण कर यांत्रिकीय या चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय अथवा पॉलिटेक्निक आदि में प्रवेश लेने पर प्रत्येक छात्र/छात्रा को रूपए 1500.00 नगद पुरस्कार दिया जाएगा।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार, योजना–2004

1 संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं लागू करना–

1.1 यह योजना ''मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकारों के मेधावी छात्र/छात्राओं को नगद पुरस्कार योजना, 2004'' कहलायेगी।

1.2 यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावशील होगी।

1.3 यह योजना अधिनियम की धारा 22(1)(ड.) सहपठित नियम, 2002 के नियम, 279 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों के अधीन मण्डल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

1.4 यह योजना उन निर्माण कर्मकार, जो भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य में लगे हैं तथा अधिनियम की धारा–12 तथा नियम, 2002 के नियम 272(4) के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष से अभिदाय का संदाय करते हुए पंजीबद्ध हैं एवं अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हैं, के शिक्षारत मेधावी पुत्र/पुत्रियों को लाभांवित करने हेतु होगी।

2 परिभाषाएं– इस योजना में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

2.1 ''अधिनियम'' का आशय ''भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27)'' से अभिप्रेत है ;

2.2 ''नियम, 2002'' का आशय ''मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 से अभिप्रेत है ;

2.3 ''मण्डल'' का आशय अधिनियम की धारा–18 के अधीन गठित ''मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल'' से अभिप्रेत है ;

2.4 ''सचिव'' का आशय अधिनियम की धारा–19 के अधीन नियुक्त मण्डल के ''सचिव'' से अभिप्रेत है ;

2.5 ''मेधावी छात्र/छात्राओं'' मेधावी छात्र/छात्राओं से आशय धारा 12 के अन्तर्गत पंजीबद्ध हिताधिकारी निर्माण श्रमिकों के उन पुत्र/पुत्रियों से है, जो दसवीं तथा बारहवीं की परीक्षा में क्रमशः 65 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंक अर्जित कर उत्तीर्ण हुए हों य

2.6 ''नगद पुरस्कार'' का आशय मेधावी छात्र/छात्राओं को उत्कृष्ट अध्ययन हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से आर्थिक शिक्षा सहायता प्रदाय की जाने वाली ''नगद पुरस्कार'' राशि से अभिप्रेत है ;

2.7 ''विद्यालय/महाविद्यालय'' का आशय मध्यप्रदेश के समस्त शासकीय विद्यालय तथा मध्यप्रदेश हायर सेकेण्डरी बोर्ड एवं केन्द्रीय शालेय शिक्षा संगठन द्वारा संबद्ध एवं मान्यता प्राप्त शासकीय विद्यालय तथा समस्त महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालय, यांत्रिकी महाविद्यालय एवं अशासकीय यांत्रिकी एवं चिकित्सकीय महाविद्यालय जो मध्यप्रदेश के अन्तर्गत विश्वविद्यालय से संबद्ध एवं उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हो, से अभिप्रेत है ;

2.8 ''परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन'' उन शब्दों या पदों के सम्बन्ध में जो इस योजना में परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु अधिनियम अथवा नियम, 2002 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वहीं अर्थ/आशय होगा जो अधिनियम अथवा नियम, 2002 में परिभाषित हैं ;

3 योजना का विवरण–

3.1 प्रस्तावना–

3.1(1) अधिनियम की धारा–22(1)(ड.) सहपठित नियम, 2002 के नियम–277 के अन्तर्गत ''शिक्षा सहायता'' प्रावधानित है इन प्रावधानों के अधीन पंजीबद्ध निर्माण कर्मकार हिताधिकारी के, कण्डिका 2.5 में परिभाषित, अध्ययनरत मेधावी पुत्र/पुत्री को ''नगद पुरस्कार'' के रूप में ''शिक्षा सहायता'' प्रदाय की जायेगी।

3.1(2) नगद पुरस्कार की राशि नियम, 2002 के नियम, 278 की अनुसूची तेरह की तालिका के क्रमांक 3.4 के अनुसार एकमुश्त भुगतान की जायेगी।

3.2 पात्रता–

3.2(1) इस योजना के अन्तर्गत ''नगद पुरस्कार'' हेतु पात्र छात्र/छात्राओं का प्रत्येक जिले से प्रत्येक पाठ्यक्रम (अर्थात् हाई–स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी) के लिये 3 छात्रों तथा 3 छात्राओं का कण्डिका 2.5 में निर्धारित प्राप्तांकों तथा प्रतिशत से उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा तथा कण्डिका 4.1, 4.2 में निर्धारित ''नगद पुरस्कार'' राशि एक–मुश्त भुगतान की जायेगी इसके अतिरिक्त हिताधिकारी की प्रत्येक ऐसी संतान को जिसने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् किसी यान्त्रिकीय या चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय अथवा पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है इस योजनाधीन कण्डिका 4.5 में निर्धारित ''नगद पुरस्कार'' राशि एकमुश्त देय होगी।

3.2(2) मण्डल की छात्र–वृत्ति योजना, 2004 अथवा अन्य विभाग या संस्था के नियम/योजना के प्रावधानानुसार छात्र–वृत्ति/शिष्यवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा इस योजना के अधीन ''नगद पुरस्कार'' प्राप्त करने के पात्र होंगे अर्थात् छात्र–वृत्ति या शिष्य–वृत्ति प्राप्त करना ''नगद पुरस्कार'' योजना के अधीन लाभ प्राप्त करने में बाधक नहीं होगा।

4 हितलाभ–

4.1 प्रत्येक जिले के हाईस्कूल उत्तीर्ण एवं कण्डिका 3.2(1) के अनुसार चयनित 3 सर्वोच्च मेधावी छात्रों तथा 3 सर्वोच्च मेधावी छात्राओं में से प्रथम वरियता प्राप्त मेधावी छात्र तथा छात्रा को रू. 800, द्वितीय वरियता प्राप्त छात्र तथा छात्रा को रू. 700 तथा तृतीय वरियता प्राप्त छात्र तथा छात्रा को रू. 500 ''नगद पुरस्कार'' राशि एकमुश्त देय होगी।

4.2 प्रत्येक जिले के हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण एवं कण्डिका 3.2(1) के अनुसार चयनित 3 सर्वोच्च मेधावी छात्रों तथा 3 सर्वोच्च मेधावी छात्राओं में से प्रथम वरियता प्राप्त मेधावी छात्र तथा छात्रा को रू. 1000 द्वितीय वरियता प्राप्त छात्र तथा छात्रा को रू. 800 तथा तृतीय वरियता प्राप्त छात्र तथा छात्रा को रू. 700 ''नगद पुरस्कार'' राशि एकमुश्त देय होगी।

4.3 ऐसे मेधावी छात्र/छात्रा, जिसने मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात् किसी यान्त्रिकी या चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक में प्रवेश प्राप्त कर लिया हो, को रू. 1500 ''नगद पुरस्कार'' राशि एकमुश्त देय होगी।

5 अपात्रता–

5.1 यान्त्रिकी या चिकित्सा शिक्षा हेतु महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक अथवा अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पश्चात् इस योजना के अन्तर्गत ''नगद पुरस्कार'' राशि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा की उस पाठ्यक्रम में न्यूनतम् एक वर्ष के अध्ययन की अनिवार्यता होगी, एक वर्ष के बीच सत्र में अध्ययन रोक देने की स्थिति में नगद पुरस्कार की राशि वापस जमा करनी होगी।

5.2 ऐसा मेधावी छात्र/छात्रा, यदि अन्य शासकीय/संस्था की किसी योजनान्तर्गत ''नगद पुरस्कार'' राशि प्राप्त करने की पात्रता रखता है तो वह किसी एक योजना का चयन कर सकता है, जो उसके लिये हितकर/लाभप्रद हो, किन्तु किसी भी परिस्थिति में वह दो योजना का एक साथ लाभ नहीं उठा सकता है।

6. आवेदन स्वीकृति तथा भुगतान की प्रक्रिया–

6.1 योजना के अन्तर्गत हिताधिकारी के योग्य पुत्र/पुत्री द्वारा निर्धारित प्रपत्र 'अ' में आवेदन–पत्र में अपेक्षित जानकारी की पूर्ति कर पासपोर्ट साईज का फोटो, जो आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित हो एवं प्रमाण–पत्रों की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि के साथ स्थानीय श्रम कार्यालय अथवा मण्डल कार्यालय में 31 जुलाई तक जमा किया जाएगा। स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय द्वारा आवेदन की सूक्ष्म जांचोपरान्त प्रकरण सर्वोच्च प्राप्तांक/प्रतिशत के अनुसार वरियता सूची के साथ मण्डल मुख्यालय भेजा जायेगा।

6.2 मण्डल मुख्यालय में ऐसे समस्त आवेदन प्राप्त होने पर मण्डल के माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुती के पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं का सूक्ष्म परीक्षण किया जायेगा :–

6.2(1) इस योजना की कण्डिका 3.1(2) के अनुसार सर्वोच्च प्राप्तांक/प्रतिशत की वरियतानुसार प्रत्येक जिले से प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिये अधिकतम 3 मेधावी छात्र एवं 3 मेधावी छात्राओं का चयन किया गया है, तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रम से सम्बन्धित छात्र/छात्रा ने सम्बन्धित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर लिया है ;

6.2(2) हिताधिकारी पंजी से यह सत्यापित किया जाना आवश्यक होगा कि सम्बन्धित हिताधिकारी द्वारा अभिदाय का संदाय किया जा रहा है

6.2(3) किसी अन्य संस्था/शासकीय विभाग/योजनान्तर्गत ऐसी कोई ''नगद पुरस्कार'' राशि प्रदाय नहीं की जा रही है ;

6.3 मण्डल मुख्यालय में प्राप्त आवेदनों का उपरोक्त कण्डिका 6.2 के अनुसार परीक्षण करने के बाद मण्डल सचिव द्वारा अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रकरणों को मण्डल के माननीय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा माननीय अध्यक्ष के अनुमोदन उपरान्त सचिव द्वारा स्वीकृति आदेश जारी कर रेखांकित बैंक ड्राट से एकमुश्त राशि भुगतान हेतु भेजी जायेगी।

7 विसंगति का निराकरण–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष का निर्णय इस सम्बन्ध में अन्तिम माना जायेगा।

मध्य प्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल

प्रपत्र–अ

(मेधावी छात्र/छात्राओं को ''नगद पुरस्कार'' योजना, 2004 के लिये आवेदन)

आवेदक का पासपोर्ट साइज फोटो जिस पर उसके हस्ताक्षर हों चिपकाना है।

1– छात्र/छात्रा का नाम .....

2– पिता/माता का नाम .....

3– पत्र व्यवहार हेतु पूरा पता .....

.....

4– पिता/माता का हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक .....

5– पिता/माता के वर्तमान के नियोजन स्थल तथा .....

.

नियोजक का नाम .....

6– छात्र/छात्रा द्वारा उत्तीर्ण शाला का नाम.....

परीक्षा का का विवरण (परीक्षा का नाम)

प्राप्तांक.....पूर्णांक.....प्रतिशत.....

7– वर्तमान में अध्ययन का विवरण विद्यालय का नाम ....

..... (व्यावसायिक पाठ्यक्रम) .....

.....

8– किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त ''नगद पुरस्कार'', (यदि कोई है), का विवरण –

8.1 संस्था/विभाग का नाम .....

8.2 प्राप्त होने वाली राशि .....

8.3 सम्बन्धित योजना का नाम .....

छात्र/छात्रा की घोषणा

9— मैं.....पुत्र/पुत्री .....घोषणा करता/करती हूँ कि मैंने कक्षा.....की परीक्षा .....(श्रेणी) से वर्ष .....में पूर्णांक .....में से.....अंक अर्जित कर .....प्रतिशत से उत्तीर्ण की है। मैं आपकी योजनांतर्गत ''नगद पुरस्कार'' राशि प्राप्त करने के लिए उक्त सभी सही जानकारी के साथ यह आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई कोई जानकारी त्रुटिपूर्ण अथवा असत्य पाई जाती है तो मैं प्राप्त की गई राशि लौटाने के लिये बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

मैं यह और भी घोषणा करता/करती हूँ कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जिसमें मैंने प्रवेश पा लिया है, मेरे द्वारा यदि एक वर्ष के सत्र के बीच में अवरूद्ध किया जाता है, तो ''नगद पुरस्कार'' की राशि लौटाने के लिये बाध्य रहूँगा/रहूँगी।

दिनॉक— (छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर)

10— हिताधिकारी निर्माण कर्मकार (माता/पिता) का अभिकथन

मैं .....(पिता/माता) यह अभिकथन करता/करती हूँ कि मैं निर्माण कर्मकार के रूप में पंजीयन क्रमॉक.....पर पंजीबद्ध हिताधिकारी निर्माण कर्मकार हूँ तथा मेरा/मेरी पुत्र/पुत्री जिसके सम्बन्ध में उक्त जानकारी दी गई है, वह मेरे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है एवं उसे मेधावी छात्र/छात्रा को ''नगद पुरस्कार'' राशि प्रदान करने के लिये अपना अभिकथन प्रस्तुत करता/करती हूँ।

संलग्न :— 1. सम्बन्धित परीक्षा की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि.
2. हिताधिकारी परिचय—पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि.

(हस्ताक्षर)
हिताधिकारी निर्माण कर्मकार का नाम .....पंजीयन क्रमांक..

11— शाला प्रमुख का प्रमाणीकरण.

11(क) (यह प्रमाणीकरण उस शाला प्रमुख द्वारा दिया जाना है जहां से छात्र/छात्रा ने परीक्षा उत्तीर्ण की हो)

..... छात्र/छात्रा ने .... विद्यालय से कक्षा .... पूर्णांक ..... में से .... अंक अर्जित कर..... प्रतिशत से परीक्षा उत्तीर्ण की है। शाला के अभिलेख के आधार पर यह जानकारी एतद द्वारा प्रमाणित की जाती है।

स्थान :–
दिनांक :–

(शाला प्रमुख के हस्ताक्षर)
नाम एवं पद मुद्रा सहित

11(ख) (यह प्रमाणीकरण व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्र/छात्रा के प्रकरण में ही लागू होगा)

..... छात्र/छात्रा को .... (माहविद्यालय/पॉलीटेक्निक/अन्य संस्था का नाम) में .... (पाठ्यक्रम का नाम) में मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने उपरान्त प्रवेश दिया गया है।

स्थान :–
दिनांक :–
प्रमुख
सहित

(हस्ताक्षर)
महाविद्यालय/पॉलीटेक्निक/संस्था
का नामे एवं पद मुद्रा

प्रसूति सहायता योजना – 2004

- पंजीबद्ध महिला निर्माण कर्मकार के प्रसूति व्ययों की प्रतिपूर्ति तथा प्रसूतिकाल में काम से अनुपस्थिति के दिनों के लिए प्रसूति हितलाभ प्रदान करने के लिए यह योजना है।
- योजना के अन्तर्गत महिला निर्माण श्रमिक का पंजीयन तथा नियमित अभिदाय राशि का भुगतान आवश्यक है।
- योजना के अन्तर्गत हितग्राही महिला श्रमिक को प्रसूति चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति के रूप में रूपए 1000.00 भुगतान किया जायेगा।
- हिताधिकारी महिला श्रमिक को प्रसूति काल में 12 सप्ताह की अवधि के लिए उसे प्राप्त हो रहे वेतन का 50 प्रतिशत भुगतान प्रसूति हितलाभ के रूप में किया जायेगा।

- ❖ प्रसूति के दौरान बीमारी अथवा अन्य चिकित्सीय जटिलता के कारण अतिरिक्त भुगतान रूपए 1000.00 तक की सीमा में किया जाएगा।
- ❖ हिताधिकारी पुरूष निर्माण श्रमिक को 15 दिन के पितृत्व प्रसूति हितलाभ की पात्रता होगी।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, भोपाल

प्रसूति सहायता योजना–2004

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार परिधि और लागू होना।

1.1– यह योजना मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार प्रसूति सहायता योजना, 2004 कहलाएगी।

1.2– यह योजना संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील होगी।

1.3– यह योजना भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22(1) (छ) सहपठित नियम, 2002 के नियम 279 के अन्तर्गत मंडल द्वारा अधिसूचना की तिथि से लागू होगी।

1.4– यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण महिला कर्मकारों पर प्रभावशील होगी जो कम से कम एक वर्ष से निधि में अभिदाय का संदाय कर रही हों तथा अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत महिला हिताधिकारी पंजीबद्ध

हों एवं अधिनियम की धारा–13 के अनुसार हिताधिकारी परिचय–पत्र धारी हैं।

2. परिभाषाएं–इस योजना में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो।

2.1–''अधिनियम''– अधिनियम का आशय भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन
तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) से अभिप्रेत है ;

2.2– ''नियम 2002''– नियम 2002 का आशय ''मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण
कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम, 2002 से अभिप्रेत है;

2.3–''मण्डल''– का आशय अधिनियम की धारा 18 की उपधारा 1 के अधीन गठित
मध्यप्रदेश भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल से अभिप्रेत है ;

2.4–''सचिव''– सचिव से आशय अधिनियम की धारा 19 के अधीन नियुक्त मण्डल के
सचिव से अभिप्रेत है ;

2.5(1)–''हितग्राही महिला श्रमिक''– अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत पंजीबद्ध एवं
धारा–13 के अन्तर्गत परिचय–पत्रधारी महिला श्रमिक प्रसूति लाभ के लिये हितग्राही
महिला श्रमिक होगी ;

2.5(2)–''हितग्राही पुरूष श्रमिक'' – अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत पंजीबद्ध एवं
धारा–13 के अन्तर्गत परिचय–पत्रधारी पुरूष श्रमिक, जिसकी पत्नी भी हिताधिकारी
निर्माण महिला श्रमिक है, पितृत्व प्रसूति हितलाभ हेतु, हितग्राही होगा ;

2.6–''परिभाषित न किये गये शब्दों का निर्वचन''– उन शब्दों या पदों के संबंध में जो इन
योजनाओं में परिभाषित नहीं किये गये हैं किन्तु अधिनियम/नियम–2002 में परिभाषित या प्रयुक्त हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम/नियम–2002 में परिभाषित हैं ;

3. योजना का विवरणः–

3.1– प्रस्तावना–

महिला निर्माण श्रमिक जो धारा–13 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय पत्रधारी है, को अधिनियम की धारा–22(1)(छ) सहपठित नियम–2002 के नियम–277 के अन्तर्गत प्रसूति की स्थिति में प्रसूति पूर्व एवं प्रसूति

पश्चात् कुल 12 सप्ताह के लिये प्रसूति हितलाभ प्रदान करने के लिये यह योजना प्रभावशील होगी।

3.2– पात्रता–

3.2.1–महिला श्रमिक अधिनियम की धारा–13 के अन्तर्गत हिताधिकारी परिचय–पत्रधारी हो;

3.2.2–प्रसव के समय महिला हिताधिकारी की आयु 20 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए ;

3.2.3–प्रसूति हितलाभ अधिकतम दो बार के प्रसव हेतु ही देय होगा ;

3.2.4–हिताधिकारी महिला श्रमिक के प्रसूति के समय बीमारी अथवा जटिल चिकित्सा की

स्थिति में आगे लगातार काम से अनुपस्थित रहने के कारण उसे अधिकतम एक माह तक अतिरिक्त अवधि के लिये प्रसूति हितलाभ सुविधा प्रदान की जावेगी ;

3.2.5–ऐसे निर्माण कर्मकार हिताधिकारी जो मण्डल की निधि में मासिक अभिदाय जमा करने

की चूक (डिफाल्ट) करते हैं, उन्हें प्रसूति सहायता योजना के लाभ की पात्रता नहीं होगी।

4. हितलाभ–

4.1– हिताधिकारी महिला श्रमिक को गर्भावस्था की अन्तिम तिमाही में कुल 12 सप्ताह की अवधि के लिये उसके द्वारा प्राप्त किये जा रहे वेतन का पचास प्रतिशत भुगतान, प्रसूति हितलाभ के रूप में, किया जाएगा।

4.2– प्रसूति की दशा में प्रसूति उपरान्त हिताधिकारी महिला श्रमिक को रूपये 1000/–(रूपये एक हजार) प्रसूति हितलाभ के अतिरिक्त प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूति के लिये भुगतान किया जावेगा।

4.3– प्रसूति के दौरान बीमारी अथवा अन्य चिकित्सीय जटिलता के कारण अधिकतम एक माह अथवा जितना समय बीमारी से ठीक होने में लगे दोनों में जो भी कम हो,की अवधि का प्रसूति हितलाभ भुगतान 12 सप्ताह के अतिरिक्त आधे वेतन के समतुल्य अधिकतम रूपए 1000/– प्रतिमाह की दर से किया जाएगा।

4.4– प्रसूति के दौरान हिताधिकारी महिला श्रमिक की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की तिथि तक का प्रसूति हितलाभ एवं प्रसूति चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का भुगतान उसके उत्तरजीवी परिवार के सदस्यों को निम्नलिखित क्रम में किया जायेगा :–

1. पति (पूर्ण राशि)
2. पुत्र/पुत्री (एक से अधिक होने पर बराबर भाग में)
3. उपरोक्त उत्तरजीवी न होने पर वैद्य उत्तराधिकारी/उत्तराधिकारियों को

4.5– हिताधिकारी पुरूष श्रमिक को, उसके मासिक औसत वेतन की दर से 15 दिन के पितृत्व प्रसूति हितलाभ की पात्रता होगी।

5 आवेदन प्रकिया एवं हितलाभों का भुगतान–

5.1– हिताधिकारी महिला श्रमिक द्वारा प्रपत्र''अ'' में स्थानीय श्रम अधिकारी अथवा मण्डल में आवेदन भरकर जमा कराया जाएगा। यह आवेदन चिकित्सक द्वारा अनुमानित प्रसूति तिथि से 6 सप्ताह पूर्व जमा करना आवश्यक है, किन्तु यदि निर्माण श्रमिक कुछ कारणोंवश पूर्व में आवेदन जमा करने में असमर्थ रहती हैं तो प्रसूति के पूर्व अथवा प्रसूति के तुरन्त बाद आवेदन जमा कर सकती है, किन्तु प्रसूति दिनांक से अधिकतम 60 दिन के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रसूति हितलाभ की पात्रता नहीं होगी।

5.2– स्थानीय श्रम कार्यालयों अथवा मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदन की जांच तथा सत्यापन कर प्रसूति हितलाभो के भुगतान हेतु मण्डल मुख्यालय को प्रकरण भेजा जावेगा।

5.3– मण्डल कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने पर अपेक्षित जांच पड़ताल के बाद तीन किश्तों में प्रसूति हितलाभ (चार–चार सप्ताह के लिये) तथा दो किश्त में प्रसूति चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान, स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय के माध्यम से रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा हितग्राही को, प्रेषित किया जाएगा।

5.4– प्रसूति हितलाभ के संबंध में प्राप्त आवेदनों के भुगतान की स्वीकृति मण्डल के अध्यक्ष

के अनुमोदन से की जाएगी तथा स्वीकृति के उपरान्त मण्डल के सचिव द्वारा नियमानुसार देय भुगतान हितग्राहियों को प्रेषित किया जाएगा।

6 विसंगति का निराकरण–

योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, उस स्थिति में मण्डल के अध्यक्ष का इस संबंध में निर्णय अन्तिम माना जावेगा।

मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिमार्ण कर्मकार कल्याण मण्डल
डी ब्लॉक पुराना सचिवालय, भोपाल.

प्रपत्र''अ''
(प्रसूति हितलाभ योजना, 2004 हेतु आवेदन)

पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाना आवश्यक है।

1–आवेदक महिला श्रमिक का नाम एवं पताः .....
.....

2–पति का नामः .....

3–हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक तथा अभिदाय राशि संदाय प्रारंभ करने की अवधि .....

4–वर्तमान नियोजक का नाम जहां आवेदक नियोजित हैः .....
.....

5–आवेदक को प्राप्त मासिक/दैनिक वेतन रूपये .....

6–प्रसूति अवकाश की अवधि जिसके लिये प्रसूति हितलाभ चाहा गया है(यह अवधि 12 सप्ताह से अधिक नहीं होगी) .....

::घोषणा::

मैं––––––––––––––––––––पत्नी –––––––––––––––– हिताधिकारी पंजीयन क्रमांक––––––––– घोषणा करती हूॅ कि मैं विगत.....वर्ष..... माह से अभिदाय संदाय कर रही हूॅ तथा गर्भावस्था/प्रसव/समय पूर्व शिशु जन्म/गर्भपात के कारण दिनांक––––––––– से कार्य पर नहीं गई हूं एवं निर्माण श्रमिकों के लिये प्रसूति हितलाभ योजना,2004 के अन्तर्गत 12/6 सप्ताह के लिये प्रसूति अवकाश का लाभ लेते हुए मैं कार्य से प्रसूति अवकाश पर रहूॅगी/हूॅ। मैं वचन देती हूॅ कि यह आवेदन मैने प्रथम/द्वितीय बार हितलाभ प्राप्त करने हेतु दिया है। यदि इससे अधिक बार प्रसूति अवकाश लाभ मेरे द्वारा लिया जाना पाया जाएगा अथवा मिथ्या जानकारी के आधार पर मेरे द्वारा यह लाभ लेने हेतु मैं दोषी पाई जाती हूॅ तो मैं यह राशि मण्डल

को वापस करने के लिये बाध्य रहूँगी तथा इस संबंध में नियमों के उल्लंघन के लिये दण्ड की भागीदार रहूँगी।

स्थानः हस्ताक्षर/अंगूठा निशान
दिनांकः महिला श्रमिक का
नामः————————
हिताधिकारी पंजीयन
क्र0———————

नियोजक का प्रमाण–पत्र

महिला श्रमिक श्रीमति—————————————— पत्नी श्री—————————— हमारे संस्थान में दिनांक————————— से कार्यरत है एवं उन्हें मासिक/दैनिक वेतन रूपये———— भुगतान किया जाता है,प्रसूति की दशा में आवेदिका ने उक्त आवेदन भरा है जो हमारी जानकारी में सही है तथा प्रसूति हितलाभ के लिये अनुशंसा की जाती है।

स्थानः हस्ताक्षर
दिनांकः
नाम————————————————
(प्रबंधक/भागीदार/नियोजक)
संस्था का
नामः————————————

———
—

चिकित्सक का प्रमाण पत्र

श्रीमति ————————————— पत्नी श्री————————————— की चिकित्सीय जांच की गई। इनकी प्रसूति अवस्था चल रही है तथा नियत प्रसूति की अनुमानित तिथि ————————— से —————— के मध्य जांच में पाई गई अथवा दिनांक—————————को समय से पूर्व प्रसूति होना अथवा दिनांक —————————को गर्भपात होना जांच में पाया गया।

स्थान– चिकित्सक के
हस्ताक्षर
दिनांक– नाम एवं सीलः

——
—

टीपः—1—उक्त आवेदन के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जावे ।

2—स्थानीय श्रम कार्यालय/मण्डल कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र की जांच के समय यह अंकित किया जावे की पंजीयन शुल्क भुगतान के बाद नियमित रूप से अद्यतन अवधि तक मासिक अभिदाय का भुगतान आवेदक द्वारा किया गया अथवा नहीं।

——
—

सत्यापन उपरान्त स्थानीय श्रम अधिकारी/मण्डल अधिकारी की टीप

स्थानः
दिनांकः

स्थानीय श्रम अधिकारी/
मण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं सील।